GST No. : 08AAAAR0279B1ZU

फोन/Phone : 0141-2740231, 2740439, 2740418
0141-2740364, 2740081, 2740076
फैक्स/Fax : 0141-2740108, 2740457, 2740026
पीबीएक्स/PBX: 0141-2744910
E-mail : rajfed@yahoo.com

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि.
RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर-302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

क्रमांक / वाणिज्य / 2025-26 / रबी 2026 / 10226-10,596 दिनांक 28/02/2026

1. खण्डीय अतिरिक्त रजिस्ट्रार,
सहकारी समितियाँ,
................................(समस्त)

2. उप रजिस्ट्रार,
सहकारी समितियाँ,
जिला..............................(समस्त)

3. क्षेत्रीय अधिकारी,
राजफेड,
.... (समस्त)

4. मुख्य व्यवस्थापक,
क्रय-विक्रय सहकारी समितियाँ,
....

विषय :- न्यूनतम समर्थन मूल्य योजनान्तर्गत रबी वर्ष 2026-27 में दलहन-तिलहन (चना-सरसों) की खरीद संबंधी विस्तृत दिशा-निर्देश।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत अनुरोध है कि प्रासंगिक पत्र के अनुसरण में न्यूनतम समर्थन मूल्य योजनान्तर्गत रबी वर्ष 2026-27 में कृषि जिन्स चना-सरसों **(gram and mustard)** हेतु शीघ्र पंजीयन आरंभ कर खरीद कार्य किया जाना है।

समर्थन मूल्य योजनान्तर्गत दलहन-तिलहन खरीद हेतु नोडल एजेन्सी नेफेड एवं एनसीसीएफ द्वारा खरीद कार्य किया जाना है। गत सीजन की भाँति उक्त दोनों एजेन्सियों का कार्यक्षेत्र निम्नानुसार निर्धारित है :-

क्र.सं.	नोडल एजेन्सी	क्षेत्रीय कार्यालय राजफेड (क्षेत्र के जिले)
1.	एनसीसीएफ	अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा (कुल 19 जिले)
2.	नेफेड	जयपुर, उदयपुर, श्रीगंगानगर, भरतपुर (कुल 22 जिले)

GST No. : 08AAAAR0279B1ZU

फोन/Phone : 0141-2740231, 2740439, 2740418
0141-2740364, 2740081, 2740076
फैक्स/Fax : 0141-2740108, 2740457, 2740026
पीबीएक्स/PBX: 0141-2744910
E-mail : rajfed@yahoo.com

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि.
RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर-302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

सामान्य जानकारी/प्रचार-प्रसार कराते हुए क्रय केन्द्रों पर खरीद व्यवस्था के अन्तर्गत निम्नानुसार आवश्यक व्यवस्थाएं किये जाने की सुनिश्चितता करें:-

1. खरीद अवधि -

रबी 2026-27 में समर्थन मूल्य योजनान्तर्गत दलहन-तिलहन खरीद का कार्य भारत सरकार द्वारा जारी पीएसएस गाईडलाईन अनुसार किया जाना है। कृषि जिन्स चना-सरसों क्रय के संबंध में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार से दिनांक 25.02.2026 के माध्यम से प्राप्त स्वीकृत खरीद सीमा निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार का पत्र क्र. एवं दिनांक	जिन्स	आवंटित अधिकतम खरीद सीमा
			(मै.टन)
1	एल-15016/22/2026-एमपीएस (ई-185091) दिनांक 25.02.2026	सरसों	13,78,750
2		चना	5,53,000

2. समर्थन मूल्य दर -

रबी 2026-27 में समर्थन मूल्य योजनान्तर्गत क्रय किये जाने वाले एफ.ए.क्यू. श्रेणी के चना-सरसों का समर्थन मूल्य भारत सरकार द्वारा निम्नानुसार घोषित किया गया है:-

क्र.सं.	जिन्स	एफ.ए.क्यू. श्रेणी का समर्थन मूल्य (रू. प्रति क्विं.)
1	चना	5875
2	सरसों	6200

GST No. : 08AAAAR0279B1ZU

फोन/Phone : 0141-2740231, 2740439, 2740418
0141-2740364, 2740081, 2740076
फैक्स/Fax : 0141-2740108, 2740457, 2740026
पीबीएक्स/PBX: 0141-2744910
E-mail : rajfed@yahoo.com

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि.
RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर-302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

3. पंजीयन व्यवस्था –

3.1 किसानों के पंजीयन की अवधि

राज्य में सरसों–चना के विक्रय हेतु शीघ्र पंजीयन प्रक्रिया प्रारंभ की जानी है। ऑनलाईन पंजीकरण समिति स्तर/ई–मित्र/किसान द्वारा स्वयं (राजफेड ओपीआर वेबसाइट/लिंक/क्यू.आर. कोड) के माध्यम से किया जा सकता है। **रबी 2026–27 में कृषक पंजीयन संभागवार आरंभ किए जाने है। पंजीयन एवं खरीद प्रारंभ की तारीख से पृथक से अवगत करा दिया जाएगा।**

3.2 पंजीकरण केन्द्र एवं पंजीकरण शुल्क

सरसों–चना विक्रय के इच्छुक किसान द्वारा स्वयं/संबंधित क्रय विक्रय सहकारी समिति/ग्राम सेवा सहकारी समिति अथवा ई–मित्र पर पंजीकरण करवा सकेंगे। किसान द्वारा स्वयं पंजीयन कराने पर कोई शुल्क देय नहीं होगा। ई–मित्र द्वारा पंजीयन करवाये जाने हेतु प्रत्येक पंजीकरण के लिए डीओआईटी द्वारा निर्धारित शुल्क देय होगा, यदि डीओआईटी द्वारा इन दरों में कोई संशोधन किया जाता है तो तदनुरूप पंजीकरण शुल्क देय होगा।

3.3 पंजीयन हेतु आवश्यक दस्तावेज

पंजीकरण के समय निम्न दस्तावेज आवश्यक होगें:–

1. जनआधार कार्ड

एक जनआधार कार्ड पर एक ही पंजीकरण मान्य होगा। जनआधार कार्ड में अंकित नामों में से जिस नाम से गिरदावरी होगी, उसी के नाम का पंजीकरण मान्य होगा। जनआधार कार्ड महिला मुखिया के नाम होने के कारण एवं गिरदावरी पति के नाम होने की स्थिति में ऐसा एक पंजीयन स्वीकार किया जा सकता है।

2. **किसान को भुगतान** – राजफेड द्वारा किसानों को भुगतान भारत सरकार की पीएसएस गाईडलाईन अनुसार आधार कार्ड/जनआधार कार्ड से लिंक बैंक खाते में विक्रय की गई जिन्स का भुगतान किया जाना है। **खाता संख्या व आईएफएससी कोड में विसंगति के लिए कृषक स्वयं उत्तरदायी होगा। ई–मित्र/समितियाँ पंजीकरण से पूर्व प्रचलित बैंक खाते का जनआधार/आधार कार्ड में अद्यतन होना सुनिश्चित करेंगे।**

3. **रबी 2026 में किसान के जनआधार कार्ड/आधार कार्ड में लिंक बैंक खाता एवं आईएफएससी कोड की जाँच क्रय केन्द्र पर प्रवेश करते समय ही कर ली जावें तथा बैंक खाता/आई.एफ.एस.सी. कोड गलत पाये जाने पर क्रय केन्द्र पर ही संशोधन हेतु कृषक से आवेदन कराया जावें। संशोधन में समय लगने पर राजफेड के डाटाबेस में भुगतान हेतु आवश्यक संशोधन करा लिया जावें।**

GST No. : 08AAAAR0279B1ZU

फोन/Phone : 0141-2740231, 2740439, 2740418
0141-2740364, 2740081, 2740076
फैक्स/Fax : 0141-2740108, 2740457, 2740026
पीबीएक्स/PBX: 0141-2744910
E-mail : rajfed@yahoo.com

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय–विक्रय संघ लि.
RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर–302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

4. किसानों के पंजीयन जन–आधार ओ0टी0पी0 द्वारा किये जा सकेंगे अर्थात् आधार आधारित बायोमेट्रिक अभिप्रमाणन की आवश्यकता नहीं होगी।

4. **गिरदावरी** – किसानों के पंजीयन ऑनलाईन गिरदावरी के माध्यम से किए जावेंगे। जिसके नाम गिरदावरी होगी उसी के नाम पंजीकरण मान्य होगा। एक जनआधार–कार्ड में एक पंजीयन की शर्त यथावत रहेगी। गिरदावरी में स्पष्टता की दृष्टि से जिला कलक्टर स्तर से राजस्व अधिकारियों को निम्नांकित बिन्दुओं पर विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिये :–

4.1 गिरदावरी में रकवा हैक्टेयर में (अंको एवं शब्दों दोनों में) अंकित करना आवश्यक होगां।

4.2 गिरदावरी का पी– 35 का क्रमांक एवं दिनांक की अनिवार्यता जहाँ ऑफलाईन गिरदावरी है वहाँ पर होगी।

4.3 फसल का रकबा हैक्टेयर में अंकित करना अनिवार्य होगा, बीघा में अंकित होगा तो उसे सॉफ्टवेयर द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। गिरदावरी में बुआई क्षेत्रफल हैक्टेयर में अंको व शब्दों में अंकित होना चाहिए, पंजीकरण हेतु इच्छुक कृषक के हिस्से का स्पष्ट उल्लेख हो एवं बोई गई फसल का नाम व रकबा भी स्पष्ट हो।

4.4 ऑफलाईन गिरदावरी पर पटवारी की मोहर एवं मोबाईल नम्बर भी आवश्यक रूप से अंकित होने चाहिए।

4.5 जमाबन्दी के आधार पर पंजीयन स्वीकार्य नहीं होंगे। यदि जमाबंदी से पंजीयन करवाया जाता है, तो वह अमान्य होगा।

4.6 जिन जिलों/तहसील क्षेत्र में ऑनलाइन गिरदावरी की सुविधा उपलब्ध है, वहाँ पर ऑनलाइन गिरदावरी ही स्वीकार की जाएगी।

4.7 एक ही परिवार के एक से अधिक सह–खातेदार है, तो ऐसी दशा में अन्य सह–खातेदारों की 500 रु. के स्टाम्प पर लिखित सहमति प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् उनमें से किसी एक के नाम से पंजीकरण मान्य होगा तथा सह–खातेदार के बुवाई क्षेत्र को सम्मिलित किया जाकर तुलाई की जा सकेगी।

5. बंटाईदार/ठेकानामा –

5.1 बटाईदार की स्थिति में कृषि भूमि मालिक एवं बटाईदार के मध्य बुआई से पूर्व या बुवाई अवधि (कृषि विभाग द्वारा जारी नोटिफिकेशन दिनांक 19.01.2026 **(परिशिष्ट–1)** के अनुसार सरसों–चना के लिए (सितम्बर 2025 से नवम्बर 2025) के समय का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर विधिवत नोटेरी से सत्यापित अनुवंध मान्य होगा एवं भूमि मालिक की गिरदावरी तथा जनआधार कार्ड एवं बटाईदार का जनआधार कार्ड आवश्यक होगा। बुआई अवधि के बाद का अनुवंध पंजीकरण हेतु स्वीकार्य नहीं होगा। भूमि मालिक एवं बटाईदार के मध्य एक ही अनुवंध मान्य होगा। कृषि भूमि मालिक एवं काश्त करने वाले किसान के मध्य नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुवंध किया जाना है।

GST No. : 08AAAAR0279B1ZU

फोन/Phone : 0141-2740231, 2740439, 2740418
0141-2740364, 2740081, 2740076
फैक्स/Fax : 0141-2740108, 2740457, 2740026
पीबीएक्स/PBX: 0141-2744910
E-mail : rajfed@yahoo.com

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि.
RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर-302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

5.2 भूमि मालिक यदि चाहे तो जनआधार कार्ड के आधार पर अपना अथवा बंटाईदार/ठेके पर लेने वाले किसान की स्थिति में उसके नाम से पंजीयन करवा सकता है अर्थात एक जनआधार कार्ड पर केवल एक ही पंजीयन स्वीकार होगा।

5.3 भूमि मालिक एवं बंटाईदार/ठेके पर लेने वाले किसान के दो पृथक-पृथक पंजीयन स्वीकार नहीं होंगे अर्थात् भूमि मालिक किसान स्वयं अथवा बंटाईदार/ठेके पर लेने वाले किसान दोनों में से कोई एक जिन्स विक्रय कर सकेगा।

5.4 बंटाईदार/ठेकानामा :- पंजीकरण के लिए बंटाईदार/ठेके पर लेने वाले किसान एवं भूमि मालिक दोनों के जन आधार कार्ड में पंजीकृत मोबाईल नम्बर पर ओ.टी.पी. सत्यापन पश्चात् पंजीकरण संभव होगा।

5.5 बंटाईदार की स्थिति में ओ0टी0पी0 सत्यापन तथा अनुबंध की प्रति पृथक से अपलोड करवानी होगी, जो कि 250 KB से कम होनी चाहिए।

6. पंजीकरण की अधिकतम सीमा -

(अ) राज्य की पंजीयन सीमा

भारत सरकार से जिन्सवार प्राप्त लक्ष्यों के अनुसार प्रति किसान 40 क्विंटल की उपार्जन सीमा अनुसार 125 प्रतिशत तक फसलवार पंजीयन किये जाने है। अधिकाधिक किसानों को लाभान्वित किए जाने एवं खरीद लक्ष्यों को प्राप्त किए जाने हेतु पंजीयन में वृद्धि समीक्षा उपरांत की जा सकेगी।

(ब) जिले की पंजीयन सीमा

सरसों-चना के कृषि विभाग से प्राप्त जिलेवार उत्पादन अनुमान के आधार पर जिले में उत्पादित जिन्स के 25 प्रतिशत तक खरीद की सीमा होगी। जिले की खरीद सीमा एवं प्रति कृषक 40 क्विं. अधिकतम क्रय के आधार पर प्राप्त कृषकों की संख्या से जिले की खरीद मात्रा की सीमा एवं प्रति कृषक निर्धारित अधिकतम क्रय मात्रा के आधार पर सक्षम स्तर से प्राप्त स्वीकृति अनुसार जिलेवार, जिन्सवार पंजीयन किया जा सकेगा। जिन जिलों से तहसीलवार उत्पादन की सूचना प्राप्त नहीं हुई है उन जिलों के केन्द्रों के लिए पंजीयन क्षमता रबी 2025 के अनुसार प्रथमतः निर्धारित की जा रही है।

GST No. : 08AAAAR0279B1ZU

फोन/Phone : 0141-2740231, 2740439, 2740418
0141-2740364, 2740081, 2740076
फैक्स/Fax : 0141-2740108, 2740457, 2740026
पीबीएक्स/PBX: 0141-2744910
E-mail : rajfed@yahoo.com

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि.
RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर-302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

(स) तहसील की पंजीयन सीमा

सरसों-चना हेतु केन्द्रों की पंजीकरण सीमा का आंकलन निम्न फॉर्मूला अनुसार किया जावेगा :-

$$\left[\frac{\text{तहसील का उत्पादन क्विंटल में (जिन्स का नाम- सरसों-चना)}}{\text{जिले में जिन्स का कुल उत्पादन क्विंटल में (जिन्स का नाम - सरसों-चना)}} \times \text{जिले की जिन्स विशेष हेतु पंजीकरण सीमा} \right]$$

(द) क्रय केन्द्र की पंजीयन सीमा

रबी 2026 में समर्थन मूल्य खरीद हेतु राज्य में अधिकाधिक खरीद केन्द्र खोले जाने के दृष्टिगत क्रय केन्द्रों की पंजीकरण सीमा जिस तहसील से क्रय केन्द्र है, उस तहसील के उत्पादन अनुमान के आधार पर एवं प्रत्येक कय केन्द्र पर यथासंभव अधिकतम 2000 टोकन क्षमता के आधार पर तय की जानी है ताकि अधिकाधिक खरीद केन्द्रों को टोकन आवंटित किए जाकर खरीद की जा सके। पंजीकरण एवं दिनांक आवंटन खरीद की गारंटी नहीं होगी, अधिकाधिक किसानों को अवसर प्रदान करने की दृष्टि से पंजीकरण किये जाने है। किसानों के पंजीयनों को ध्यान में रखते हुये समय-समय पर समीक्षा कर जिले की सीमा के अन्तर्गत पंजीयन सीमा का समायोजन किया जा सकेगा।

यदि तहसील के कुल उत्पादन के आधार पर (40 क्विंटल प्रति किसान खरीद सीमा) गणना की गई क्षमता 2000 प्रति केन्द्र से कम आती है, तो उस स्थिति में संबंधित क्रय केन्द्रों की अधिकतम पंजीकरण क्षमता तहसील की उत्पादन आधारित कुल क्षमता के अनुसार निर्धारित की जाएगी। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाएगा कि तहसील के अंतर्गत आने वाले सभी क्रय केन्द्रों की कुल पंजीकरण क्षमता, तहसील की निर्धारित अधिकतम क्षमता से अधिक नहीं होगी। प्रत्येक केन्द्र की पंजीकरण क्षमता गतिशील (Dynamic) रहेगी, परंतु किसी भी स्थिति में तहसील की कुल निर्धारित क्षमता को पार (Cross) नहीं करेगी।

उदाहरण - 1

यदि किसी तहसील की अधिकतम क्षमता 10,000 (किसान) है तथा उस तहसील के अंतर्गत 6 क्रय केन्द्र आते हैं, तो प्रत्येक केन्द्र की अधिकतम क्षमता 2000 निर्धारित की जाएगी, क्योंकि प्रति केन्द्र अधिकतम सीमा 2000 तय की गई है। किन्तु जैसे ही सभी केन्द्रों पर कुल मिलाकर पंजीकरण संख्या 10,000 हो जाएगी, उसी समय सभी केन्द्रों पर पंजीकरण स्वतः बंद कर दिया जाएगा।

GST No. : 08AAAAR0279B1ZU

फोन/Phone : 0141-2740231, 2740439, 2740418
0141-2740364, 2740081, 2740076
फैक्स/Fax : 0141-2740108, 2740457, 2740026
पीबीएक्स/PBX: 0141-2744910
E-mail : rajfed@yahoo.com

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय–विक्रय संघ लि.
RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर–302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

उदाहरण – 2

यदि किसी तहसील की अधिकतम क्षमता 1,500 (किसान) है तथा उस तहसील के अंतर्गत 6 क्रय केन्द्र आते हैं, तो इस स्थिति में केन्द्रों की क्षमता तहसील की कुल सीमा (1,500) के अधीन रहेगी, न कि 2000 के अनुसार अर्थात् सभी केन्द्र मिलकर कुल 1,500 पंजीकरण तक ही कार्य करेंगे। जैसे ही कुल पंजीकरण संख्या 1,500 होगी, सभी केन्द्रों पर पंजीकरण बंद कर दिया जाएगा। इस प्रकार केन्द्रों की क्षमता परिस्थिति के अनुसार गतिशील (Dynamic) रूप से कार्य करेगी।

उदाहरण – 3

यदि कोई क्रय केन्द्र दो तहसीलों में मैप (Mapping) है, तो उस स्थिति में किसान जिस तहसील के माध्यम से पंजीकरण हेतु आएगा, उसी तहसील की निर्धारित अधिकतम क्षमता लागू होगी।

उदाहरणार्थ –
तहसील A की अधिकतम क्षमता = 1,500 एवं तहसील B की अधिकतम क्षमता = 1,700
दोनों तहसीलों का एक सामान्य (Common) क्रय केन्द्र = C

अब यदि कोई किसान तहसील A का चयन करके केन्द्र B पर पंजीकरण करता है, तो उस स्थिति में अधिकतम सीमा 1,500 मानी जाएगी। परंतु यदि किसान तहसील B का चयन करके उसी केन्द्र C पर पंजीकरण करता है, तो उस स्थिति में अधिकतम सीमा 1,700 मानी जाएगी। अर्थात् इस प्रकार की स्थिति में केन्द्र C की अधिकतम क्षमता संबंधित तहसील की सीमा के अनुसार निर्धारित होगी, तथा उसी के अनुरूप गणना की जाएगी।

(द) समर्थन मूल्य रबी 2026–27 के दौरान किसानों को तुलाई हेतु संदेश भेजे जाने हेतु किसानों की संख्या का निर्धारण आनुपातिक रूप से ऑनलाईन सिस्टम द्वारा जिन्सवार स्वतः वरीयता क्रम में किसानों को उनके पंजीकृत मोबाईल नम्बर पर संदेश जारी किये जा सकेंगे।

<u>7. क्रय केन्द्र –</u>

सरसों–चना के लिए ही पंजीकरण मान्य होगा, अन्य जिन्स के लिए यदि किसान द्वारा पंजीकरण करवाया जाता है तो वह स्वीकार्य नहीं होगा। किसान की कृषि भूमि जिस तहसील में होगी उसी तहसील के कार्य क्षेत्र में आने वाले क्रय केन्द्र का चयन फसल विक्रय हेतु किसान द्वारा किया जा सकेगा। **यदि कृषक/ई–मित्र द्वारा गलत तहसील भरकर पंजीयन कराया गया है, तो जिन्स क्रय नहीं किया जावेगा।** रबी सीजन वर्ष 2026–27 में समर्थन मूल्य पर सरसों–चना के केन्द्रों की सूची पृथक से जारी की जा रही है। क्षेत्र से मांग प्राप्त होने पर परिक्षणोपरांत और अतिरिक्त केन्द्र स्थापित किये जा सकेंगे। कृषक के द्वारा क्रय केन्द्र के स्थानान्तरण के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जावेगा।

GST No. : 08AAAAR0279B1ZU

फोन/Phone : 0141-2740231, 2740439, 2740418
0141-2740364, 2740081, 2740076
फैक्स/Fax : 0141-2740108, 2740457, 2740026
पीबीएक्स/PBX: 0141-2744910
E-mail : rajfed@yahoo.com

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय–विक्रय संघ लि.
RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर–302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

यदि कृषक/ई–मित्र द्वारा वास्तविक तहसील के स्थान पर अन्य गलत तहसील भरकर पंजीयन करवाता है तो जिन्स क्रय नहीं किया जावेगा।

8. मोबाईल नम्बर –

किसान द्वारा एक मोबाईल नम्बर पर केवल एक पंजीकरण दर्ज करवाया जा सकेगा अर्थात प्रत्येक पंजीकरण में पृथक–पृथक मोबाईल नम्बर दर्ज होगें जिसमें वह अपने सरसों–चना के पंजीकरण में दर्ज करवा सकेगा।

9. अन्य –

9.1 यदि किसान किसी कारणवश निर्धारित दिनांक को क्रय केन्द्र पर अपनी जिन्स का विक्रय नहीं कर पाता है, तो **वह 10 दिवस की अवधि में अपना जिन्स कभी भी तुलवा सकता है।**

9.2 तुलाई पश्चात् किसान का ऑनलाइन बिल आधार आधारित बायोमैट्रिक अभिप्रमाणन/फेस ऑथेन्टिकेशन पश्चात् जनरेट कर विक्रय पर्ची की एक प्रति किसान को केन्द्र प्रभारी द्वारा अवश्य दी जाएगी। तुलाई के दिवस ही विक्रय पर्ची जारी करनी आवश्यक है ।

9.3 जिन्स विकय के पश्चात् किसानों को भुगतान भारत सरकार की पीएसएस गाईडलाईन अनुसार आधार कार्ड/जनआधार कार्ड से लिंक बैंक खाते में विक्रय की गई जिन्स का भुगतान किया जाना है।

9.4 खरीद प्रभारी/ऑपरेटर द्वारा तीन बार एसएसओ आईडी पर बायोमैट्रिक/ओटीपी गलत प्रविष्टि करने पर आई. डी. स्वतः ब्लॉक हो जाएगी।

9.5 अगर पंजीकृत किसान किसी कारणवश जिन्स तुलाई हेतु केन्द्र पर नहीं आता है तो क्रय केन्द्र पर अपनी सहमति देकर जनआधार कार्ड में अंकित सदस्य को नॉमिनी बना सकता है। यदि जनआधार कार्ड में उस व्यक्ति का नाम नहीं है तो मुख्यालय स्तर पर शपथ–पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् नॉमिनी बना सकेगा।

9.6 कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार समर्थन मूल्य पर दलहन–तिलहन की ऑनलाइन खरीद रबी 2026–27 के दौरान वास्तविक किसानों की पहचान हेतु आधार आधारित बायोमेट्रिक अभिप्रमाणन पश्चात ही की जाएगी। किसान की बायोमैट्रिक पहचान के उपरान्त ही जिन्स की तुलवाई की जावेगी। ओटीपी के आधार पर किसान की पहचान एवं जिन्स तुलवाई नहीं की जावेगी। अतः समस्त क्रय केन्द्रों पर L1 बायोमेट्रिक मशीन होना अनिवार्य है। **POS मशीने उपलब्ध कराये जाने पर किसान की बायोमैट्रिक पहचान POS मशीन द्वारा किया जाना अनिवार्य होगा।**

GST No. : 08AAAAR0279B1ZU

फोन/Phone : 0141-2740231, 2740439, 2740418
0141-2740364, 2740081, 2740076
फैक्स/Fax : 0141-2740108, 2740457, 2740026
पीबीएक्स/PBX: 0141-2744910
E-mail : rajfed@yahoo.com

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि.
RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर-302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

10. ऑनलाइन पंजीकरण में समस्याएं एवं निराकरण –

विभिन्न क्रय केन्द्रों एवं कृषकों को ऑनलाईन पंजीकरण में आने वाली व्यवहारिक समस्याओं का निराकरण निम्नानुसार करने की व्यवस्था की गई है :-

क्र.सं.	ऑनलाईन पंजीकरण में समस्या	निराकरण
1.	ऑनलाईन पंजीकरण में जन-आधार कार्ड महिला मुखिया के नाम होने तथा कृषि भूमि पति/पत्नी के नाम होने के कारण पंजीकृत किसान की कृषि जिन्स खरीद करने बाबत।	जन-आधार कार्ड में एक पंजीयन की शर्त यथावत रहेगी। जन-आधार कार्ड महिला मुखिया के नाम होने के कारण एवं गिरदावरी पति के नाम होने की स्थिति में ऐसा एक पंजीयन स्वीकार किया जा सकता है।
2.	किसान को तुलाई दिनांक आवंटन के पश्चात 10 दिवस में जिन्स तुलाई नहीं होने की स्थिति में तुलाई प्रकिया।	किसान को दिनांक आवंटन होने के बाद खरीद केन्द्र पर बारदाने के अभाव/क्रय की गई जिन्स का उठाव नहीं होने, बायोमैट्रिक पहचान नहीं होने या अन्य वाजिब कारण से यदि तुलाई नहीं हुई है तो ऐसे कृषकों की जिन्स की तुलाई हेतु कृषक के प्रार्थना पत्र के साथ क्रय केन्द्र के माध्यम से सबंधित क्षेत्रीय अधिकारी को प्रेषित करेंगे जिसे क्षेत्रीय अधिकारी राजफेड द्वारा अपनी अनुशंषा सहित मुख्यालय को प्रेषित करेंगे। राजफेड मुख्यालय स्तर से स्वीकृति उपरांत जिन्स की तुलाई हो सकेगी।
3.	यदि गिरदावरी में अंकित नाम का मिलान जन-आधार कार्ड में अंकित परिवार के सदस्यों के नाम से नहीं होता है तो ऐसे पंजीकरण की स्थिति के सबंध में।	यदि गिरदावरी में अंकित नाम का मिलान जन-आधार कार्ड में अंकित परिवार के सदस्यों के नाम से नहीं होता है तो ऐसे पंजीयन खरीद हेतु स्वीकार नहीं किये जाऐंगे।

11. ई-मित्र के दायित्व –

11.1 ई-मित्र का दायित्व होगा कि पंजीकरण से संबंधित नियमों की पूर्ण पालना करते हुए किसानों का **सरसों-चना** का विक्रय हेतु पंजीकरण किया जावे।

11.2 ई-मित्र द्वारा पंजीकरण कार्य में अनियमितता/लापरवाही बरतने की स्थिति में सूचना एवं प्रोद्योगिकी विभाग (डीओआईटी), राजस्थान सरकार द्वारा ई-मित्र के विरूद्ध पुलिस कार्रवाई ई-मित्र का लाईसेंस निरस्त करने, शास्ती अधिरोपित करने आदि संबंधी कार्रवाई की जा सकेगी। इसके लिए वह स्वयं उत्तरदायी होंगें। **संबंधित क्षेत्रीय अधिकारीगण अपने-अपने जिला स्तर से भी ई-मित्र कियोस्क धारकों को पाबन्द कराना सुनिश्चित करें।**

11.3 पंजीकरणकर्ता ई-मित्र/समिति पंजीयन से पूर्व निम्नलिखित निर्देशों का पालन करने के लिये दायित्वाधीन होंगें :-

1. आधारकार्ड/जनआधार कार्ड में मोबाईल नम्बर एवं प्रचलित बैंक खाता Seeded होने का सत्यापन करें।
2. **जिस तहसील में भूमि है उस तहसील के केन्द्र पर ही पंजीयन किया जावे अन्यत्र तहसील पर पंजीकरण करने की स्थिति में कृषक से जिन्स क्रय नहीं की जावेगी** एवं उक्त निर्देशों का पालन नहीं करने पर सम्बन्धित ई-मित्र/समिति के खिलाफ कार्रवाई की जावेगी।

GST No. : 08AAAAR0279B1ZU

फोन/Phone : 0141-2740231, 2740439, 2740418
0141-2740364, 2740081, 2740076
फैक्स/Fax : 0141-2740108, 2740457, 2740026
पीबीएक्स/PBX: 0141-2744910
E-mail : rajfed@yahoo.com

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि.
RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर-302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

3. किसान का पंजीयन ऑनलाईन गिरदावरी के माध्यम से किया जाए।
4. जमाबन्दी के आधार पर पंजीयन स्वीकार्य नही होगें।

12. तुलाई हेतु मैसेज

तुलाई हेतु कृषक को संदेश भेजे जाने की संख्या का निर्धारण सामान्यतः सिस्टम द्वारा जिन्सवार वरीयता क्रम में केन्द्र पर कुल पंजीयन संख्या एवं तुलाई हेतु कुल कार्यदिवस के आधार पर किया जाता है। केन्द्रों पर जिन्स तुलाई की व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने की दृष्टि से समर्थन मूल्य रबी 2026–27 के दौरान किसानों को तुलाई हेतु संदेश भेजे जाने हेतु किसानों की संख्या का निर्धारण ऑनलाईन सिस्टम द्वारा जिन्सवार स्वतः वरीयता क्रम में किसानों को उनके पंजीकृत मोबाईल नम्बर पर संदेश जारी किये जा सकेंगे।

13. किसान से जिन्स की क्रय प्रक्रिया निम्नानुसार है :–

1. क्रय केन्द्र पर पहुँचने वाले कृषक से प्रथमतः निम्न दस्तावेज प्राप्त किये जावे :–
   (I) जन–आधार कार्ड
   (II) आधार कार्ड
   (III) बैंक पास बुक की प्रति
   (IV) बटाईदार की स्थिति में बटाईदार का मूल अनुबंध

दस्तावेजों एवं भूमि रिकॉर्ड में किसी भी तरह की कटिंग, ओवरराईटिंग, इरेजिंग (erasing) मान्य नहीं होगी एवं ऐसे किसान से खरीद नहीं की जावेगी। यदि ऐसे किसान से दलहन–तिलहन की खरीद की गई, तो समिति मुख्य व्यवस्थापक/खरीद केन्द्र प्रभारी स्वंय उत्तरदायी होंगे एवं संबंधित दोषी कार्मिकों के विरूद्ध नियमानुसार विभागीय/अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जावेगी।

2. जिन्स की एफएक्यू गुणवत्ता मापदंडो की जाँच की जाए।
3. कृषक द्वारा गिरदावरी में अंकित जिन्स के बोये गये क्षेत्रफल एवं जिले की उत्पादकता के अनुसार क्रय की जाने वाली मात्रा तक ही जिन्स की खरीद की जानी है। क्रय केन्द्र द्वारा निर्धारित मात्रा से अधिक खरीद की जाती है तो केन्द्र प्रभारी स्वंय उत्तरदायी होंगे एवं संबंधित दोषी कार्मिकों के विरूद्ध नियमानुसार विभागीय/अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
4. सैम्पल पास होने के उपरान्त केन्द्र पर तुलाई व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
5. खरीद के समय मुख्य व्यवस्थापक/प्रभारी किसान के बैंक खाते की जाँच कर सही पाए जाने की स्थिति में ही विक्रय पर्ची जारी करेंगे। यदि किसान का भुगतान असफल होता है तो पूर्ण जिम्मेदारी समिति के मुख्य व्यवस्थापक/खरीद केन्द्र प्रभारी की होगी। तुलाई के पश्चात् ऑनलाईन विक्रय पर्ची कृषि जिन्स विक्रय दिवस को ही जारी **की जानी अनिवार्य होगी।**

GST No. : 08AAAAR0279B1ZU

फोन/Phone : 0141-2740231, 2740439, 2740418
0141-2740364, 2740081, 2740076
फैक्स/Fax : 0141-2740108, 2740457, 2740026
पीबीएक्स/PBX: 0141-2744910
E-mail : rajfed@yahoo.com

RAJFED

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि.
RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर-302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

6. ऑनलाईन विक्रय पर्ची के अभाव में खरीद पोर्टल पर दर्ज नहीं हो सकेगी।

7. ऑनलाईन बिल जारी करने हेतु मुख्य व्यवस्थापक/क्रय केन्द्र प्रभारी स्वयं उत्तरदायी होंगे।

8. ऑफलाईन खरीद करने अथवा निर्धारित समय में ऑनलाईन विक्रय बिल नहीं बनाने पर संबंधित समिति उत्तरदायी होगी।

9. ऑफलाईन खरीद किये जाने पर भुगतान का दायित्व राजफेड का नहीं होगा एवं ऑफलाईन क्रय जिन्स समिति की होगी एवं इस क्रम में समस्त दायित्व संबंधित समिति का होगा।

10. कृषि जिन्स खरीद का समस्त रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाकर पोर्टल पर दर्ज करवानें की सुनिश्चितता करें।

11. भारत सरकार द्वारा निर्धारित गुणवत्ता मापदण्डों के अनुसार एफ.ए.क्यू. श्रेणी का जिन्स (दलहन-तिलहन) लाने का उत्तरदायित्व स्वयं किसान का होगा।

12. कृषि जिन्स कांटे तक लाये जाने हेतु वसूल योग्य राशि समिति द्वारा संबंधित किसान से प्राप्त कर उसकी रसीद कृषक को दी जाएगी तथा रसीद की एक प्रति समिति अपने रिकॉर्ड में सुरक्षित रखेगी तथा मण्डी लेबर की राशि का भुगतान समिति द्वारा संबंधित लेबर/ठेकेदार को किया जाएगा।

13. विक्रय पर्ची काटते समय 2 चैक बॉक्स (बैंक खाता चैक, गिरदावरी चैक) के ऑप्शन को ऑपरेटर द्वारा टिक मार्क किया जावेगा एवं घोषणा की जावेगी की "मैनें किसान के बैंक खाता एवं गिरदावरी का मिलान कर लिया है और इसमें कोई गलती नहीं है, जिसकी मेरे द्वारा जाँच कर ली गई है। तत्पश्चात् ही विक्रय पर्ची काटी जा सकेगी।

14. खरीद केन्द्र पर कार्यरत ऑपरेटर राजफेड किसान एप पर बोरियों पर लगे क्यू.आर. कोड स्टीच/स्कैन करेंगे तथा केन्द्र प्रभारी द्वारा उक्त स्टॉक को भण्डारगृह में जमा कराने हेतु डिस्पेच किया जावेगा।

समर्थन मूल्य **सरसों, चना** खरीद में किसी प्रकार की समस्या हो तो किसान हेल्पलाईन नम्बर 18001806001 पर दर्ज करा सकेंगें एवं संबंधित क्रय-विक्रय सहकारी समिति/क्षेत्रीय कार्यालय राजफैड तथा मुख्यालय में स्थापित कॉल सेंटर पर शिकायत दर्ज करा सकेंगें।

13.1 उत्पादकता

रबी वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्य पर सरसों, चना की खरीद हेतु संयुक्त निदेशक, कृषि सांख्यिकी, राजस्थान के पत्र क्रमांक एफ6(iii) आ.कृ./मु.आ.अ./प्रोक्यो/दल0-तिल0/2025/2395-96 दिनांक 15.01.2026/19.01.2026 के माध्यम से संभावित बुआई, उत्पादन, आवक की सूचना एवं नोटिफिकेशन की सूचना प्राप्त हुई है, की प्रति संदर्भ हेतु **परिशिष्ट-2,3** पर संलग्न है। **जिले की औसत उत्पादकता एवं मूल गिरदावरी में दर्शित बोये गये जिन्स के क्षेत्रफल के आधार पर किसान से खरीद किये जाने का दायित्व समिति मुख्य व्यवस्थापक/केन्द्र प्रभारी का होगा।**

Scanned with OKEN Scanner

GST No. : 08AAAAR0279B1ZU

फोन/Phone : 0141-2740231, 2740439, 2740418
0141-2740364, 2740081, 2740076
फैक्स/Fax : 0141-2740108, 2740457, 2740026
पीबीएक्स/PBX: 0141-2744910
E-mail : rajfed@yahoo.com

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि.
RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर-302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

13.2 मंदिर की कृषि एवं रिसीवरी भूमि से सम्बन्धित दलहन/दलहन की खरीद प्रक्रिया

मन्दिर माफी की भूमि एवं रिसीवरी भूमि पर काश्त करने वाले किसानों से समर्थन मूल्य पर दलहन-तिलहन की खरीद की मांग समय-समय पर की जाती रही है। पूर्व में सक्षम स्तर से प्राप्त स्वीकृति अनुसार उपरोक्त प्रकरणों में समर्थन मूल्य पर दलहन तिलहन की खरीद के लिए निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते है :-

1. देव स्थान/मन्दिर मूर्ति की भूमि के प्रकरण में राजस्व रिकॉर्ड यथा जमाबंदी/खसरा गिरदावरी में मन्दिर मूर्तियों के नाम दर्ज भूमियों पर **काश्त करने वाले काश्तकारों के नाम तहसील में एक पंजिका में पृथक से दर्ज होते है इन प्रकरणों में तहसीलदार द्वारा सबंधित काश्तकार को संबंधित खसरा नम्बर में काश्त करने बाबत एक प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा, प्रमाण पत्र के आधार पर संबंधित खसरा नम्बर में पैदा हुई दलहन-तिलहन को नियमानुसार समर्थन मूल्य पर क्रय किया जा सकेगा।**

2. कई प्रकरणों में विभिन्न न्यायालयों द्वारा रिसीवरी की भूमियाँ दी जाती है जिनमें प्रतिवर्ष काश्त हेतु भूमि की नीलामी की जाती है। नीलामी में लेने वाले काश्तकारों द्वारा उन भूमियों पर काश्त की जाती है। **न्यायालय आदेशों से रिसीवरी में दी गई भूमियों की जानकारी तहसील मे पृथक पंजिका संधारित की जाती है। अतः संबंधित तहसीलदार के प्रमाण पत्र के आधार पर नीलामी में भूमि काश्त पर लेने वाले काश्तकार से दलहन तिलहन की नियमानुसार समर्थन मूल्य खरीद की जा सकेगी।**

3. मन्दिर माफी/देव मूर्तियों की भूमियों के सबंध में काश्त करने वाले पुजारियों की समस्याओं के समाधान बाबत संयुक्त शासन सचिव राजस्व(ग्रुप-6) के परिपत्र क्रमांक 3(2) राज-6/2007 पार्ट/5 दिनांक 12.09.18 की प्रति परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

13.3 बंटाईदार/ठेकानामा कृषक से खरीद प्रक्रिया

बंटाईदार कृषक की जिन्स क्रय किये जाने से पूर्व खरीद केन्द्र प्रभारी भूमि मालिक या बंटाईदार/ठेका लेने वाले कृषक दोनों में से किसी एक कृषक से ही खरीद किया जाना सुनिश्चित करेंगे। बंटाईदार/ठेका लेने वाले कृषक से खरीद किये जाने हेतु केन्द्र प्रभारी एक रजिस्टर का संधारण करेंगे, जिसमें भूमि मालिक एवं बंटाईदार/ठेका लेने वाले कृषक की दोनों की डिटेल का अंकन किया जावे एवं बंटाईदार कृषक से खरीद किये जाने से पूर्व रजिस्टर/रिकॉर्ड से मिलान कर यह सुनिश्चित किया जावे कि भूमि मालिक एवं बंटाईदार/ठेका लेने वाले कृषक में से किसी एक के द्वारा पूर्व में तुलाई तो नहीं कराई गई है रजिस्टर का संधारण निम्न प्रारूप निम्नानुसार किय जाए :-

भूमि मालिक				बंटाईदार				
भूमि मालिक का नाम	जन-आधार कार्ड का न.	मो.न.	भूमि का खाता सं.	बंटाईदार का नाम	जन-आधार कार्ड का न.	मो.न.	भूमि का खाता सं.	जिन्स जिसके लिये अनुबन्ध किया गया है।
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Scanned with OKEN Scanner

GST No. : 08AAAAR0279B1ZU

फोन/Phone : 0141-2740231, 2740439, 2740418
0141-2740364, 2740081, 2740076
फैक्स/Fax : 0141-2740108, 2740457, 2740026
पीबीएक्स/PBX: 0141-2744910
E-mail : rajfed@yahoo.com

RAJFED

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि.
RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर-302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

उक्त सूचना रजिस्टर के साथ-साथ राजफेड द्वारा प्रेषित एक्सल शीट में भी संधारित की जानी है। यदि पंजीयन दोहराया जाना पाया जाता है, तो ऐसे पंजीयन पर जिन्स की खरीद नहीं की जानी है। क्रय केन्द्र प्रभारी/समिति मुख्य व्यवस्थापक 25 प्रतिशत बटाई अनुबंधों को सत्यापन करेंगे।

समिति द्वारा बंटाईदार के अनुबंध का सत्यापन भूमि मालिक से आवश्यक रूप से किया जाए। इस हेतु क्रय केन्द्र प्रभारी एवं समिति मुख्य व्यवस्थापक संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।

13.4 कृषि जिन्स खरीद मात्रा

भारत सरकार के निर्देशानुसार एक दिन में एक किसान से अधिकतम 80 कट्टे (50 किलो भर्ती) जिन्सवार क्रय किये जा सकेंगे अर्थात एक किसान से एक दिन में अधिकतम 40 क्विंटल कृषि जिन्स न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जिन्सवार क्रय किये जा सकेंगे।

14. गुणवत्ता मापदण्ड –

भारत सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर क्रय किये जाने हेतु विभिन्न जिन्सों की खरीद हेतु अलग-अलग गुणवत्ता मापदंड निर्धारित किये गये है। **एफ.ए.क्यू. गुणवत्ता की जिन्स विक्रय हेतु लाये जाने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित कृषक का होगा। अतः काश्तकार क्रय केन्द्र पर जिन्स विकय हेतु लाने से पूर्व किसी परेशानी से बचने के लिए यह सुनिश्चित कर लें कि उनकी जिन्स गुणवत्ता मापदंडो के अनुकूल है। यदि अनुकूल नही हो तो कृषक स्वयं अपने स्तर पर ग्रेडिंग कर क्रय केन्द्र पर लावें।**

रबी 2026-27 में समर्थन मूल्य योजनान्तर्गत चना, सरसों की खरीद हेतु निर्धारित गुणवत्ता मापदंड की प्रति संदर्भ हेतु **परिशिष्ट-5 से 6** पर संलग्न है। **केवल मात्र निर्धारित गुणवत्ता मापदण्डों के अनुरूप क्रय की गयी चना, सरसों ही योजनान्तर्गत स्वीकार किया जायेगा।**

15. नकली सरसों की पहचान –

गत सीजन में क्रय केन्द्रों पर नकली सरसों लाये जाने के प्रकरण भी संज्ञान में आए है। क्रय केन्द्र पर कृषकों द्वारा लाई गई सरसों गुणवत्ता मापदण्ड के अनुरूप हो यह सुनिश्चित करने के लिए नकली सरसों का परीक्षण करना भी अतिआवश्यक हो गया है। अतः प्रत्येक कृषक से सरसों क्रय करने से पूर्व कृषक द्वारा लाये गये सरसों के सैम्पल को मौके पर ही कृषक की उपस्थिति में पानी से भरी हुई बाल्टी में सैम्पल डालकर परीक्षण किया जावें, यदि पानी में सरसों घुल जाती है तो इससे यह स्पष्ट है कि उक्त सरसों असली न होकर कृत्रिम रूप से अन्य पदार्थों के तैयार किये गए दाने है जो खरीद हेतु स्वीकृत नहीं है।

Scanned with OKEN Scanner

GST No. : 08AAAAR0279B1ZU

फोन/Phone : 0141-2740231, 2740439, 2740418
0141-2740364, 2740081, 2740076
फैक्स/Fax : 0141-2740108, 2740457, 2740026
पीबीएक्स/PBX: 0141-2744910
E-mail : rajfed@yahoo.com

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि.
RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर-302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

क्रय केन्द्र पर गुणवत्ता मापदंडों की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जावे। समिति के मुख्य कार्यकारी/खरीद प्रभारी एफ.ए.क्यू. मापदण्डों के अनुरूप खरीद करने के लिये उत्तरदायी होंगे। कृषि जिन्स के गुणवत्ता मापदण्डों के सम्बन्ध में विवाद उत्पन्न होने पर निम्न कमेटी की बैठक आहूत कर जिन्स के एफ.ए.क्यू./नॉन एफ.ए.क्यू. गुणवत्ता के विवाद का निस्तारण किया जावे :-

1. व्यवस्थापक क्रय-विक्रय सहकारी समिति /प्रभारी, क्रय केन्द्र अध्यक्ष
2. हल्का निरीक्षक (सहकारिता) सदस्य
3. सम्बन्धित कृषि उपज मंडी समिति का सचिव या सचिव द्वारा नामित प्रतिनिधि सदस्य
4. सम्बन्धित कृषि पर्यवेक्षक कृषि विभाग सदस्य

गुणवत्ता का निर्धारण बहुमत से किया जायेगा। मत बराबर होने पर अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार होगा। कमेटी की कार्रवाई को लिपिबद्ध किया जावे और समिति रिकॉर्ड में सुरक्षित रखी जावे।

गुणवत्ता मापदंडो के आधार पर कृषि जिन्स रिजेक्शन की स्थिति में किसान को रिजेक्शन के कारणों से अवगत कराते हुए सन्तुष्ट किया जावे एवं रिजेक्शन स्लिप एवं रजिस्टर पर संबंधित किसान के हस्ताक्षर करवाये जावे एवं केन्द्र पर संधारित किये जाने वाले रजिस्टर में रिजेक्शन के कारणों का भी उल्लेख किया जावे। रिजेक्शन रजिस्टर का प्रारूप निम्नानुसार है :-

क्रय-विक्रय सहकारी समिति.............केन्द्र का नाम....................

रिजेक्शन रजिस्टर

क्र. सं.	जिन्स का नाम	किसान का नाम पता	पंजीकरण संख्या	पंजीकृत मोबाईल नम्बर	तुलाई हेतु आवंटित दिनांक	जिन्स रिजेक्शन का आधार	किसान के हस्ताक्षर	केन्द्र प्रभारी हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7	8	9

केन्द्र पर जिन्स के रिजेक्शन की स्थिति में कृषि जिन्स की गुणवत्ता के सबंध में पूर्ण रिकॉर्ड रजिस्टर में दर्ज किया जावे एवं सैम्पल की पर्ची में किसान का नाम, क्रय रजिस्टर में अंकित क्रमांक, दिनांक तथा किसान के ऑनलाईन पंजीकरण के क्रमांक एवं दिनांक तथा जिन्स में नमी की मात्रा का भी उल्लेख किया जावे।

सैम्पल – क्रय केन्द्र पर किसान का माल नॉन एफ.ए.क्यू. होने पर ही 500 ग्राम का सैम्पल लिया जावे।

कृषक द्वारा लायी गयी जिन्स यदि नॉन एफ.ए.क्यू. है एवं यदि अतिरिक्त छनाई, ग्रेडिंग आदि की आवश्यकता है तो कृषक द्वारा यह कार्य स्वयं के स्तर से कराया जावेगा।

कृषक द्वारा लायी गयी नॉन एफ.ए.क्यू. जिन्स का क्रय केन्द्र से तुरंत उठाव सुनिश्चित किया जावें। नॉन एफ.ए.क्यू. जिन्स क्रय केन्द्र पर किसी भी स्थिति में पड़ी नहीं रहे।

GST No. : 08AAAAR0279B1ZU

फोन/Phone : 0141-2740231, 2740439, 2740418
0141-2740364, 2740081, 2740076
फैक्स/Fax : 0141-2740108, 2740457, 2740026
पीबीएक्स/PBX: 0141-2744910
E-mail : rajfed@yahoo.com

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि.
RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर-302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

16. खरीद केन्द्र पर विडियोग्राफी –

समर्थन मूल्य योजनान्तर्गत खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी रूप से सम्पन्न कराने के उद्देश्य से एवं कृषक की वास्तविक पहचान सुनिश्चित करने के लिए विडियोग्राफी कराया जाना अतिआवश्यक है। अतः सभी खरीद केन्द्र पिड पर एवं क्रय केन्द्र पर ट्रकों के लोडिंग पॉइन्ट पर ट्रकों की विडियोग्राफी की पुख्ता व्यवस्था करें। यह इसलिए भी आवश्यक है कि कई बार क्रय केन्द्रों के संबंध में राशि मांगने अथवा खरीद कार्य में सहयोग नहीं करने की शिकायतें प्राप्त होती है एवं जाँच कराने पर शिकायतें मिथ्या पाई जाती है।

अतः मिथ्या शिकायतों को प्रभावी तरीके से रोकने के लिए विडियोग्राफी कराया जाना अति आवश्यक है, यदि किसी किसान/व्यक्ति द्वारा मिथ्या शिकायत की जाती है तो उसका विडियोग्राफी के आधार पर पुलिस में संबंधित केन्द्र द्वारा प्रकरण दर्ज करवाकर शिकायतकर्ता के विरूद्ध पुलिस कार्रवाई अमल में लाई जावें ताकि खरीद व्यवस्था को पारदर्शितापूर्ण तरीके से सम्पन्न कराया जा सके।

17. दलहन-तिलहन खरीद उपरान्त भण्डारगृह में कृषि जिन्स का जमा नहीं होना –

न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दलहन-तिलहन की खरीद ऑनलाइन प्रक्रियानुसार की जाती है। क्रय केन्द्रों द्वारा किसान से क्रय की गयी कृषि जिन्स भण्डारगृह में जमा नहीं करवाये जाने पर संबंधित समिति एवं केन्द्र प्रभारी स्वयं उत्तरदायी होगें एवं ऐसी खरीद के भुगतान व अन्य व्यय की जिम्मेदारी संबंधित समिति की होगी। ऐसे प्रकरणों में विभाग द्वारा संबंधित के विरूद्ध कार्रवाई की जा सकेगी।

18. बारदाना व्यवस्था –

18.1 बारदाने की आपूर्ति राजफेड द्वारा की जाएगी। क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा अनिवार्य रूप से प्राप्त बारदाना एवं वितरित बारदाने का विवरण समितिवार पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा। **नेफेड/एनसीसीएफ से प्राप्त होने वाले बारदाने का क्रय केन्द्र/भण्डारंगृह पर सुरक्षित रूप से भण्डारण करवाया जाए ताकि केन्द्र पर खरीद के दौरान बारदाने का समुचित रूप से उपयोग किया जा सके। बारदाने की सुरक्षा का दायित्व संबंधित समिति का होगा।**

भण्डारगृह में उपलब्ध बारदाने को संबंधित केन्द्रों पर प्राथमिकता पर उपलब्ध कराया जाए। केन्द्र पर जिन्सवार पंजीयन एवं खरीद को ध्यान में रखते हुए बारदाने की पाक्षिक मांग से अविलम्ब अवगत कराया जाए ताकि समय पर बारदाने की आपूर्ति सुनिश्चित करायी जा सके। बारदाने की पाक्षिक आवश्यकता का आंकलन कर राजफेड को 15 दिवस अग्रिम अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें क्योंकि नेफेड/एनसीसीएफ से बारदाना प्राप्त होने में लगभग एक सप्ताह का समय लगता है।

GST No. : 08AAAAR0279B1ZU

फोन/Phone : 0141-2740231, 2740439, 2740418
0141-2740364, 2740081, 2740076
फैक्स/Fax : 0141-2740108, 2740457, 2740026
पीबीएक्स/PBX: 0141-2744910
E-mail : rajfed@yahoo.com

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय–विक्रय संघ लि.
RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर–302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

क्षेत्र की समिति/गोदाम में भण्डारित एस.बी.टी. एवं बी.टी. बारदाने को आवश्यकतानुसार समितियों को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें ताकि खरीद कार्य निर्बाध रूप से सम्पन्न कराया जा सके। यह भी उल्लेखनीय है कि समितियों द्वारा आवश्यकतानुसार गोदाम/एक समिति से दूसरी समिति पर भिजवाये जाने वाले बारदाने पर होने वाले पुनः परिवहन के खर्चों/क्लेम सीजन समाप्ति पर भिजवाया जाना सुनिश्चित करें ताकि अपेक्षित कार्यवाही की जा सके।

अतः खरीद आरंभ होने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेवे कि जिन खरीद केन्द्रों पर बारदाने की आवश्यकता है वहां आपके क्षेत्र की निकटतम समिति/भण्डारगृह में उपलब्ध बारदाने में से आवश्यकतानुसार बारदाना भिजवाना सुनिश्चित करें, साथ ही भण्डारगृह में उपलब्ध बारदाने स्टॉक को प्राथमिकता से उठवाने का कष्ट करें।

18.2 क्रय–विक्रय सहकारी समितियॉ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, राजफेड स्तर पर बारदाने का स्टॉक रजिस्टर संधारित किया जावेगा।

18.3 बारदाने की सुरक्षा का दायित्व संबंधित समिति/केन्द्र का होगा। समर्थन मूल्य योजनान्तर्गत दलहन–तिलहन की खरीद हेतु केन्द्र पर प्राप्त बारदाने के उपयोग, आगजनी से सुरक्षा एवं भण्डारण आदि की सम्पूर्ण सुरक्षा का दायित्व संबंधित समिति का होगा। बारदाना उपयोग के उपरांत यदि कोई बारदाना शेष रहता है तो उसके सुरक्षित भण्डारण का दायित्व भी संबंधित समिति का होगा। बारदाने की गुणवत्ता प्रभावित न हो इस बात का पूर्ण ध्यान रखा जाए ताकि शेष रहे बारदाने का आगामी खरीद में सुगमता से उपयोग किया जा सके।

18.4 बारदाने में गुणवत्ता की शिकायत

बारदाने में गुणवत्ता सम्बंधी शिकायत होने में बारदाना प्राप्ति के 10 दिवस में अवगत कराया जाए। नेफैड, कोलकत्ता/एनसीसीएफ को 10 दिवस की अवधि के उपरांत प्राप्त होने वाली शिकायत पर कार्यवाही नहीं की जाएगी। अतः बारदाने में गुणवत्ता की शिकायत में बारदाना प्राप्त होते ही उसी दिवस अवगत करावे ताकि नेफैड, कोलकत्ता/एनसीसीएफ को 10 दिवस की अवधि पर उपलब्ध करवाया जा सकें।

बारदाने की गुणवत्ता, शॉर्ट साईज आदि की शिकायत होने पर सबंधित क्षेत्रीय कार्यालय राजफेड को समिति द्वारा सूचित करते हुए पंचनामा मय लघु वीडियो तैयार किया जावेगा। पंचनामा रिपोर्ट निम्न कमेटी द्वारा तैयार की जाएगी :–

1. व्यवस्थापक, क्रय–विक्रय सहकारी समिति
2. क्रय केन्द्र प्रभारी
3. मण्डी समिति का प्रतिनिधि
4. सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय, राजफेड का प्रतिनिधि
5. केन्द्र पर पंजीकृत किसानों मे से उपस्थिति एक किसान

GST No. : 08AAAAR0279B1ZU

फोन/Phone : 0141-2740231, 2740439, 2740418
0141-2740364, 2740081, 2740076
फैक्स/Fax : 0141-2740108, 2740457, 2740026
पीबीएक्स/PBX: 0141-2744910
E-mail : rajfed@yahoo.com

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि.
RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर-302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

19. मार्का –

बोरियों पर गहरा हरा रंग का मार्का निम्नानुसार लगाया जाना हैं :-

1. नेफेड/एनसीसीएफ
2. केन्द्र का नाम ....
3. **जिन्स – चना, सरसों रबी 2026-27**
4. **वजन – चना, सरसों 50 किलो नेट**
5. क्रय रजिस्टर में अंकित क्रमांक .... दिनांक ....
6. किसान का ऑनलाइन पंजीकरण क्रमांक .... दिनांक ....

20. बोरियों में जिन्स की भर्ती एवं सिलाई –

भर्ती के समय बारदाने में मानक (स्टेण्डर्ड) भर्ती का विशेष ध्यान रखा जावे। बारदाने में स्टेण्डर्ड भर्ती सरसों, चना हेतु प्रति कट्टा 50 किलो का ध्यान रखा जावें। स्टेण्डर्ड भर्ती से कम होने के कारण वजन पूर्ति हेतु अतिरिक्त बारदाना उपयोग में लिया जाता है तो बारदाने की कीमत समिति से वसूल योग्य होगी। बारदाने में अधिक भर्ती होने का लाभ नेफेड/एनसीसीएफ द्वारा देय नहीं है एवं स्टैण्र्ड भर्ती से कम होने पर समिति उत्तदायी होगी, वजन अन्तर की राशि समिति से वसूली योग्य होगी।

21. क्यू.आर. कोड –

राजफेड़ द्वारा क्यू.आर. कोड व्यवस्था लागू कर दी गई है। बारदाना आपूर्ति व्यवस्था की भाँति क्यू.आर. कोड की आपूर्ति नेफेड/एनसीसीएफ के माध्यम से करवाई जाएगी। अतः केन्द्रवार क्यू.आर. कोड की आवश्यकता से वरिष्ठ प्रबन्धक (बारदाना) को 15 दिवस अग्रिम रूप से अवगत कराया जाए ताकि नेफेड/एनसीसीएफ से क्यूआर कोड की व्यवस्था की जा सके।

22 छाया-पानी एवं फर्स्टएड किट व्यवस्था –

खरीद प्रारम्भ होने से पूर्व कांटे-बांट का प्रमाणीकरण आवश्यक रूप से कराया जावे। समर्थन मूल्य पर कृषि जिन्सों की खरीद के सम्बन्ध में क्रय केन्द्रों पर छाया पानी, तिरपाल, रस्सी, खूंटे एवं फर्स्टएड किट आदि की व्यवस्था मण्डी प्रांगण में खरीद सम्बन्धी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराने के लिए समिति स्वयं के साथ-साथ सम्बन्धित कृषि उपज मण्डी समिति के माध्यम से आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराई जावें।

GST No. : 08AAAAR0279B1ZU

फोन/Phone : 0141-2740231, 2740439, 2740418
0141-2740364, 2740081, 2740076
फैक्स/Fax : 0141-2740108, 2740457, 2740026
पीबीएक्स/PBX: 0141-2744910
E-mail : rajfed@yahoo.com

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय–विक्रय संघ लि.
RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर–302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

राजफेड द्वारा निदेशक, कृषि विपणन को खरीद केन्द्रों पर आधारभूत व्यवस्था यथा छाया–पानी, बिजली, त्रिपाल, ग्रेडिंग मशीन आदि की व्यवस्थायें कृषि उपज मण्डी समिति के माध्यम से उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया हुआ है। मण्डी समिति के बाहर समर्थन मूल्य केन्द्रों पर मण्डी द्वारा किसी भी प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाने पर ऐसे केन्द्रों पर अपेक्षित व्यवस्थाएं जीएसएस द्वारा सुनिश्चित की जावेगी।

23. क्रय जिन्स की सुरक्षा व्यवस्था –

क्रय केन्द्र पर क्रय जिन्स की सुरक्षा का प्रबन्ध समिति द्वारा सुनिश्चित किये जावे ताकि क्रय केन्द्र से कृषि जिन्स की चोरी व स्टॉक कम नहीं हो अर्थात् क्रय केन्द्र पर क्रय की गई स्टॉक की सूरक्षा का दायित्व संबंधित समिति व्यवस्थापक/केन्द्र प्रभारी का होगा। इस बाबत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, समिति द्वारा प्रतिदिन डे–क्लोज कर क्रय जिन्स की कुल मात्रा, भण्डारण मात्रा एवं पिड पर शेष रहे स्टॉक का पजेशन समिति के पास होने के कोलम पर पोर्टल में टिक करेंगे एवं प्रतिदिन रिपोर्ट उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ एवं सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित करने की सुनिश्चितता करेंगे।

क्षेत्रीय अधिकारी, राजफेड द्वारा साप्ताहिक रूप से समितिवार क्रय जिन्स की सूचना की पुष्टि करते हुए मुख्यालय को अवगत कराया जायेगा।

सम्बन्धित उप रजिस्ट्रार समय–समय पर स्टॉक के निरीक्षण एवं सत्यापन करेगे एवं कोई अनियमितता उजागर होती है तो सम्बन्धित समिति को आवश्यक निर्देश देते हुये राजफेड मुख्यालय एवं विभाग को अवगत कराया जायेगा।

24. हैण्डलिंग परिवहन व्यवस्था –

समर्थन मूल्य पर चना, सरसों की खरीद हेतु राज्य के विभिन्न कय केन्द्रों के लिए दिशा–निर्देश ई–बिड/एच एण्ड टी/लेखा/2026–27/7175–7276 दिनांक 03.02.2026 एवं 7081–7124 दिनांक 03.02.2026 के माध्यम से निर्देश जारी किए हुए है। (परिशिष्ट–7 व 8)

उपरोक्त निर्देशों के क्रम में पुनः पाबन्द किया जाता है कि वित्तीय नियमों में किसी भी निविदा (टेण्डर) पर निर्णय वित्तीय शर्तों एवं नियमों के प्रकाश में अंतिम निर्णय लिये जाने की शक्ति व दायित्व संबंधित उपापन समिति का ही है और वित्तीय नियमों की यह मंशा है कि राजकीय संव्यवहारों में भाग लेने वाली फर्मों के बाबत किसी भी प्रकार का विवाद/संदेह अथवा भ्रांति न हो, इसी को रेखांकित करते हुए दिशा–निर्देशों व निविदा के वर्णित नियमों के अनुसार प्रत्येक उपापन संस्था यह सुनिश्चित कर लेवें कि भाग लेने वाली फर्में किसी भी रूप में लेशमात्र भी विवादित नहीं हो और न ही निविदादाता अकारण राजफेड के विरूद्ध पूर्व में अथवा वर्तमान में किसी न्यायालय व अन्य प्राधिकारी के समक्ष राजफेड के प्रतिपक्ष (विरोध) में हो।

GST No. : 08AAAAR0279B1ZU

फोन/Phone : 0141-2740231, 2740439, 2740418
0141-2740364, 2740081, 2740076
फैक्स/Fax : 0141-2740108, 2740457, 2740026
पीबीएक्स/PBX: 0141-2744910
E-mail : rajfed@yahoo.com

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि.
RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर-302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

कृषि जिन्स क्रय प्रक्रिया में संबंधित मण्डी की हैण्डलिंग कार्य की दर आधार दर रखी जा रही है। राजस्थान राज्य में स्थापित सभी राजकीय कृषि मण्डी समितियों की वर्तमान में प्रचलित नवीनतम हैण्डलिंग दरों की प्रति संबंधित कृषि उपज मण्डी से प्राप्त की जावें। इस हेतु कृषि विपणन निदेशालय को प्रेषित पत्र क्रमांक ई–बिड/एच एण्ड टी/लेखा/2026–27/7125–7174 दिनांक 03.02.2026 प्रति संदर्भ हेतु परिशिष्ट–9 पर संलग्न है। परिवहन टेण्डर प्रक्रिया के सन्दर्भ में यदि किसी प्रकार की स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो तो महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), राजफेड, जयपुर से फोन नम्बर 0141–2740418 या ई–मेल **rajfed.fin_ac@yahoo.com.in** पर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

24.1 हैण्डलिंग एवं परिवहन के दौरान दुर्घटना/चोरी आदि बाबत ट्रांजिट बीमा –

क्रय केन्द्र पर खरीद उपरांत जिन्स परिवहन हेतु समिति द्वारा परिवहनकर्ता को संभलवाया जाता है। ऐसा भी संज्ञान में आया है कि परिवहनकर्ता द्वारा जिन्स ट्रक में लोड करने के उपरांत भण्डारगृह में जमा न करवाकर खुर्द–बुर्द कर दिया गया है। इस तरह की घटनाओं की पुनर्रावृत्ति न हो एवं समिति को अनावश्यक हानि वहन नहीं करनी पडे के उद्देश्य से प्रत्येक ट्रक का चोरी दुर्घटना आदि का ट्रांजिट बीमा करवाया जावें। ट्रक में लोडिंग एवं परिवहनकर्ता को गेट पास संभलवाते समय भी विडियोग्राफी कराई जावें एवं परिवहनकर्ता द्वारा परिवहन हेतु जिन्स प्राप्त करने की पुष्टि स्वरूप परिवहनकर्ता के हस्ताक्षर एवं मोबाईल नम्बर भी अंकित करवाए जाए।

24.2 वाहन का ऑनलाईन ओ.पी.आर. पोर्टल पर चालान बनाना –

भण्डारगृह में जिन्स भण्डारण हेतु भिजवाने से पूर्व ओ.पी.आर. पोर्टल पर ऑनलाईन चालान बनाना अनिवार्य होगा अन्यथा भण्डारगृह में जिन्स जमा नहीं हो सकेगी।

25. हैण्डलिंग एवं परिवहन बिलों का प्रेषण एवं पुर्नभरण –

1. हैण्डलिंग एवं परिवहन के बिलों के प्रमाणकों/सम्बन्धित दस्तावेजों की जाँच कर सम्बन्धित समिति द्वारा प्रथम बिल के साथ निविदा कमेटी की दर स्वीकृत करने सम्बन्धी अनुशंषा की प्रति एवं समिति द्वारा जारी कार्य आदेश की प्रति बिल के साथ संलग्न कर ऑनलाईन प्रेषित की जावे तथा राजफेड के ओपीआर पोर्टल पर समितियों द्वारा चैक लिस्ट (परिशिष्ट–10) अनुसार बिल अपलोड/दर्ज किए जाने है। बिल के अभाव में समितियों को पुनर्भरण देय नहीं होगा।

2. नियमानुसार ई. वे. बिल जारी करवाया जाना भी सुनिश्चित करें।

3. नोडल एजेन्सी नेफेड/एनसीसीएफ के कार्यक्षेत्र अनुसार पृथक–पृथक बिल तैयार कर भिजवाए जाने है।

3. बिना बिलों के समितियों को हैण्डलिंग एवं परिवहन बिलों का भुगतान सम्भव नहीं होगा।

4. बिल पाक्षिक रूप से भेजे जावें।

GST No. : 08AAAAR0279B1ZU

फोन/Phone : 0141-2740231, 2740439, 2740418
0141-2740364, 2740081, 2740076
फैक्स/Fax : 0141-2740108, 2740457, 2740026
पीबीएक्स/PBX: 0141-2744910
E-mail : rajfed@yahoo.com

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि.
RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर-302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

5. भुगतान प्रक्रिया – राजफेड द्वारा पत्र क्रमांकः फा. वाणिज्यः 2025–26/ राजकाज रेफरेन्ट नम्बर 18475087 दिनांक 28.10.2025 के द्वारा क्रय–विक्रय सहकारी समितियों को हैण्डलिंग एवं परिवहन कार्य पेटे समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित किये जाने हेतु जारी किया है। वर्तमान प्रणाली अनुसार समितियों व संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों से वांछित दस्तावेज के क्लेम प्रस्तुत करने पर 3 दिवस में 50 प्रतिशत भुगतान किया जावेगा। बिल जॉच पश्चात् पारित करने पर 3 दिवस में 25 प्रतिशत एवं शेष 25 प्रतिशत राशि नेफेड/एनसीसीएफ से प्राप्त होने पर 7 दिवस में भुगतान किया जावेगा। **(परिशिष्ट–11)**

6. समिति से शार्टेज आदि की वसूल योग्य राशि का समायोजन उसको देय राशि में से किया जाएगा।

26. भंडारण –

1. समर्थन मूल्य पर क्रय जिन्सों के भण्डारण हेतु नोडल एजेन्सी केन्द्रीय भण्डारण निगम एवं राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम द्वारा क्रय केन्द्र के निकटतम गोदामों की व्यवस्था करना सुनिश्चित करेगी।
2. भण्डारण नोडल एजेन्सियां भारत सरकार से राज्य को प्राप्त खरीद लक्ष्यों के अनुरूप उचित भण्डारण क्षमता के गोदाम उपलब्ध कराने का दायित्व भण्डारण एजेन्सियों का होगा।
3. क्रयशुदा जिन्स के गोदामों में जमा की ई–डब्ल्यूआर एवं भण्डारण रसीदें प्रतिदिन जारी करवाने का दायित्व सम्बंधित भण्डारण एजेन्सी एवं भण्डार प्रबंधक का होगा, जिसकी पालना आवश्यक रूप से सुनिश्चित करनी होगी।
4. गोदामों में क्रयशुदा जिन्स की भण्डारण रसीदें जारी होने के उपरांत जिन्स के गुणवत्ता सम्बंधित पूर्ण दायित्व सम्बंधित भण्डारण एजेन्सी का होगा तथा भण्डारण रसीदें जारी होने के उपरांत गुणवत्ता सम्बंधित प्रकरण उत्पन्न होने पर सम्बंधित भण्डार प्रबंधक का व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायित्व होगा, जिसके विरूद्ध सम्बंधित भण्डारण एजेन्सी द्वारा विभागीय कार्रवाई अमल में लायी जाएगी।
5. भण्डारण नोडल एजेन्सी द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जावेगा कि प्रतिदिन गोदाम पर अनलोड हेतु आये ट्रक प्रतिदिन ही अनलोड किया जाना आवश्यक होगा। इसकी समुचित व्यवस्था का दायित्व सम्बंधित भण्डारण एजेन्सी का होगा।
6. **क्रय केन्द्र प्रभारी द्वारा प्रतिदिन किसानों से क्रयशुदा जिन्स को मूवमेन्ट प्लान अनुसार क्रय केन्द्र के निकटतम गोदाम में प्रतिदिन जमा करवाना होगा एवं प्रतिदिन जमा जिन्स की ई–डब्ल्यूआर एवं भण्डारण रसीदें प्रतिदिन भण्डारगृह से प्राप्त कर क्षेत्रीय अधिकारी को भिजवाना सुनिश्चित करेंगे।**
7. क्रय केन्द्र प्रभारी भारत सरकार द्वारा निर्धारित गुणवत्ता मापदण्डों के अनुरूप ही किसानों से खरीद की जाकर गोदामों में जिन्स जमा करवाना सुनिश्चित करेगा।
8. क्रय केन्द्र प्रभारी यह सुनिश्चित करेगा कि प्रतिदिन पिड पर क्रयशुदा स्टॉक 500 क्विंटल से अधिक ना हो तथा जिसकी सूचना प्रतिदिन सम्बंधित क्षेत्रीय अधिकारी को उपलब्ध करवायेगा।
9. प्रतिदिन किसानों से क्रयशुदा जिन्स एवं गोदामों में जमा की मात्रा प्रतिदिन खरीद केन्द्र प्रभारी ओपीआर पोर्टल एवं सहकार पोर्टल से मिलान करेगा तथा सम्बंधित क्षेत्रीय अधिकारी केन्द्रवार इसकी मोनिटरिंग करना सुनिश्चित करेगा।

GST No. : 08AAAAR0279B1ZU

फोन/Phone : 0141-2740231, 2740439, 2740418
0141-2740364, 2740081, 2740076
फैक्स/Fax : 0141-2740108, 2740457, 2740026
पीबीएक्स/PBX: 0141-2744910
E-mail : rajfed@yahoo.com

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि.

RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर-302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

10. क्रय केन्द्र प्रभारियों द्वारा क्षेत्रीय अधिकारियों के माध्यम से मुख्यालय को क्रय केन्द्र के निकटतम वरियता क्रम में तीन गोदामों का प्राथमिक तौर पर आवश्यक रूप से मूवमेन्ट प्लान प्रस्तुत करना होगा। मूवमेन्ट प्लान प्रस्ताव का मुख्यालय से अनुमोदन उपरांत उसमें बिना अनुमति के परिर्वतन स्वीकार्य नहीं होगा, जिसके लिए सम्बंधित क्रय केन्द्र प्रभारी जिम्मेदार होगा।
11. क्रय केन्द्र के निकटतम तीनों गोदाम पूर्ण रूप से भण्डारित होने तथा निकटतम गोदाम रिक्त नहीं होने की स्थिति में एवं निकटतम गोदाम के पूर्ण रूप से भण्डारित हो जाने की संभावना को ध्यान में रखते हुए अग्रिम तैयारी की जाकर मूवमेन्ट प्लान में परिर्वतन प्रस्ताव मुख्यालय को 7 दिवस पूर्व प्रेषित किये जावेगे। तदनुसार नवीनतम गोदामों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए संशोधित मूवमेन्ट प्लान प्रस्ताव अनुमोदन उपरांत जिन्सों का भण्डारण क्रय केन्द्र प्रभारी करवाना सुनिश्चित करेगे। मूवमेंट प्लान हेतु महाप्रबन्धक (वाणिज्य) एवं भंडारण प्रभारी अधिकारी से ई-मेल rajfedstorage@gmail.com पर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
12. सभी खरीद केन्द्र प्रभारी यह सुनिश्चित कर लेवें कि भण्डारण हेतु भिजवाये जाने वाला दलहन-तिलहन एफएक्यू श्रेणी का ही है। भण्डारण के दौरान यदि कोई जिन्स नॉन एफएक्यू पाया जाता है, तो जिन्स को सम्बंधित किसान को भुगतान/जिन्स वापस लौटाने का दायित्व सम्बंधित केन्द्र प्रभारी एवं मुख्य व्यवस्थापक का होगा अर्थात नॉन एफएक्यू श्रेणी जिन्स का भण्डारण किसी भी स्थिति में नहीं किया जाना है।

27. भंडारण रसीदें -

1. किसानों से क्रयशुदा जिन्स की गोदामों में जमा की भण्डारण रसीदों का केन्द्रवार, गोदामवार, जिन्सवार एवं मात्रावार रिकॉर्ड रखना केन्द्र प्रभारी का दायित्व होगा तथा प्रतिदिन रिकॉर्ड का निरीक्षण क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा किया जाकर प्रगति से मुख्यालय को प्रतिदिन अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।
2. भण्डार प्रबंधक यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि जमा जिन्स की नेफेड/एनसीसीएफ, केन्द्रवार, जिन्सवार, कट्टे एवं वजन तथा समिति का नाम/क्रय केन्द्र का नाम में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। यह सुनिश्चित करने के उपरांत ही प्रतिदिन ई-डब्ल्यूआर जारी की जाए, किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए सम्बंधित भण्डार प्रबंधक उत्तरदायी होगा।
3. राज्य में किसानों से क्रयशुदा जिन्स गोदामों में जमा का डाटा सहकार पोर्टल पर ई-डब्ल्यूआर जनरेट करने के उपरांत संशोधन किया जाना संभव नहीं होगा। इसके लिए पूर्ण सावधानी बरती जाए। यदि किसी प्रकार की त्रुटिपूर्ण स्थिति में जारी ई-डब्ल्यूआर के विरूद्ध भौतिक डब्ल्यूआर में संशोधन किया जाकर अविलम्ब क्रय केन्द्र प्रभारी सम्बंधित भण्डार प्रबंधक से संशोधित डब्ल्यूआर क्षेत्रीय अधिकारी के माध्यम से मुख्यालय को तीन दिवस में भिजवाना सुनिश्चित करेगा।
4. सम्बन्धित उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ उक्त व्यवस्था का सतत् पर्यवेक्षण करेगे। विलम्ब से प्राप्त भण्डारण रसीदें स्वीकार नहीं की जायेगी। सम्बन्धित क्षेत्रीय अधिकारी प्रतिदिन क्रय केन्द्र/समिति से प्राप्त भण्डारण रसीदें मुख्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करेगें।

GST No. : 08AAAAR0279B1ZU

फोन/Phone : 0141-2740231, 2740439, 2740418
0141-2740364, 2740081, 2740076
फैक्स/Fax : 0141-2740108, 2740457, 2740026
पीबीएक्स/PBX: 0141-2744910
E-mail : rajfed@yahoo.com

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि.
RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर-302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

5. भण्डारण रसीदों पर बोरियों की संख्या, वजन, नमी की मात्रा, गोदाम का नाम, स्टैक नम्बर एवं क्रय केन्द्र का नाम भी स्पष्ट अंकन होना अनिवार्य है। भण्डारण रसीदों के साथ नेफेड/एनसीसीएफ द्वारा भण्डारगृह पर नियुक्त सर्वेयर से सर्वेयर रिपोर्ट प्राप्त कर संलग्न की जाए मूल भण्डारण रसीदों के अतिरिक्त एक अतिरिक्त फोटो प्रति सर्वेयर रिपोर्ट सहित भी संलग्न कर भिजवायी जाए भंडारण रसीदें भिजवाने की जिम्मेदारी सबंधित समिति/केन्द्र की होगी। खरीद समाप्त होने के 15 दिवस में सम्पूर्ण भण्डारण रसीदें बिना रिमार्क की प्रेषित की जाए इसके बाद भण्डारण रसीदें स्वीकार नहीं की जाएगी।
6. भण्डार प्रबन्धक द्वारा जमा जिन्स की उसी दिन वेयरहाउस रसीद की हार्ड कॉपी जारी करना अनिवार्य होगा। आर.एस.डब्ल्यू.सी./सी.डब्ल्यू.सी. द्वारा समस्त वेयरहाउस रसीदें ऑनलाईन सॉफ्टवेयर से ही जारी की जाए **पूर्व में ऐसा देखने में आया है कि वेयरहाउस मैनेजर्स द्वारा सॉफ्टवेयर से डब्ल्यूआर जारी न कर केवल ऑफलाईन जारी कर दी गयी, जिसके कारण ऑनलाईन एवं ऑफलाईन डब्ल्यूआर में अन्तर उत्पन्न हो गया। अतः समस्त डब्ल्यूआर सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही जनरेट की जाए।**
7. भण्डारण रसीदें पूर्ण सावधानी से जाँच उपरांत दो प्रतियों में एवं मूल पत्र की एक्सेल शीट (सॉफ्टकॉपी english) ई-मेल आई.डी. rajfedstorage@gmail.com पर Times New Roman Font में प्रेषित की जाए।

नोट – समिति का नाम, केन्द्र का नाम, भण्डारगृह का नाम प्रेषित किये जाने वाले पत्र में **english** में ही अंकित किया जाए। भण्डारण रसीदें जिन्सवार, समितिवार अलग-अलग योग लगाकर ही प्रेषित की जाए।

28. भण्डारगृह पर रिजेक्शन

समर्थन मूल्य पर खरीद के दौरान निर्धारित गुणवत्ता मापदण्डों की पालना भी महत्वपूर्ण बिन्दु है। अनेक बार यह शिकायत आती है कि क्रय केन्द्रों पर क्रय केन्द्र प्रभारी द्वारा मनमाने आधार पर गुणवत्ता के आधार पर कृषक का माल निरस्त किया जाता है जिससे कई बार विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। अतः भविष्य में इस तरह की परिस्थिति नहीं उत्पन्न हो, इसके लिये निम्नांकित निर्देश प्रदत्त किये जा रहे है।

भारत सरकार द्वारा निर्धारित एफएक्यू मापदण्डों के अनुसार समर्थन मूल्य पर जिन्सों की खरीद की जावें। क्रय विक्रय सहकारी समिति द्वारा खरीद केन्द्र पर एफएक्यू गुणवत्ता मशीन के लिये स्थान चिन्हित कर, उक्त स्थान पर बैनर लगाये जायेगे । मशीन के माध्यम से जिन्सों की एफएक्यू जॉच के लिए एक प्रभारी को नाम से नियुक्त कर एवं उसकी जिम्मेदारी होगी की वह समस्त जिन्सों को गुणवत्ता मशीन से जॉच के उपरान्त खरीद कर एवं संलग्न प्रोफार्मा के अनुसार उनका रिकॉर्ड संधारित करेगा।

GST No. : 08AAAAR0279B1ZU

फोन/Phone : 0141-2740231, 2740439, 2740418
0141-2740364, 2740081, 2740076
फैक्स/Fax : 0141-2740108, 2740457, 2740026
पीबीएक्स/PBX: 0141-2744910
E-mail : rajfed@yahoo.com

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि.
RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर-302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

29. जिन्स की एफ.ए.क्यू. गुणवत्ता जाँच हेतु मशीनें –

रबी सीजन 2026–27 में जिन्सों की खरीद हेतु भारत सरकार द्वारा जारी पीएसएस गाईडलाईन अनुसार एफ.ए.क्यू. मापदण्ड की पूर्ति नहीं होने पर कृषक द्वारा तुलाई हेतु लाई गई जिन्स का रिजेक्शन मोईश्चर मीटर, ग्रेडिंग मशीन, मोर्फोलॉजी मशीन के आधार पर ही किया जावे। कोई भी रिजेक्शन मैन्यूअल आधार पर नहीं किया जावे तथा उक्त मशीनों द्वारा जारी रिपोर्ट को ओपीआर पोर्टल पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

वेयर हाउस में किसी प्रकार के रिजेक्शन में आवश्यक रूप से सर्वेयर से रिजेक्शन रिपोर्ट तैयार करवाई जावे जिस पर वेयर हाउस मैनेजर के हस्ताक्षर हो। इसके साथ–साथ राजफेड किसान एप पर सर्वेयर द्वारा जिन्स प्राप्ति के दौरान डिस्पेच नम्बर/गाडी नम्बर के आधार पर उक्त गाडी के स्टॉक को स्वीकार/अस्वीकार/आंशिक रूप से (पार्शियल स्वीकार/अस्वीकार) किया जावेगा। भंडारगृहों पर नेफेड/एनसीसीएफ द्वारा नियुक्त सर्वेयरों द्वारा कृषि जिन्स स्टॉक अस्वीकृत करने के कारण पूर्व में गुणवत्ता संबंधी विवाद उत्पन्न हुए थे इसे ध्यान में रखते हुए तत्कालीन प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता के पत्र क्रमांक 459–609 दिनांक 06.04.18 द्वारा गठित कमेटी में **सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक 12957–13052 दिनांक 29.03.2022 (परिशिष्ट–12) द्वारा कमेटी का पुर्नगठन किया गया, जो निम्नानुसार हैं:–**

1. सहायक कृषि अधिकारी, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार – अध्यक्ष
2. क्षेत्रीय अधिकारी राजफैड़ – सदस्य
3. वेयरहाउस (आर.एस.डब्ल्यू.सी.)/सी.डब्ल्यू.सी.) प्रतिनिधि – सदस्य
4. नेफेड प्रतिनिधि – सदस्य
5. संबंधित समिति व्यवस्थापक – सदस्य सचिव

गठित कमेटी द्वारा **क्रय जिन्स की गुणवत्ता पर विवाद होने पर सर्वप्रथम गुणवत्ता जाँच मशीन से** सैम्पल जाँच रिपोर्ट ली जावेगी, उसके पश्चात् **भी गुणवत्ता को लेकर यदि कोई** मतभेद/विवाद होने पर **भण्डारण के दौरान निम्न प्रक्रिया आवश्यक रूप से अपनायी जावें :–**

1. **सदस्य सचिव द्वारा कमेटी की बैठक का आयोजन किया जावेगा।**
2. बैठक आयोजन के क्रम में **नोटिस जारी किया जावेगा जिसमें तिथि, समय व विवाद विवरण का** उल्लेख होगा।
3. बैठक में **कमेटी के सभी सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।**
4. वेयरहाउस व नेफेड के अधिकृत अधिकारी द्वारा ही प्रतिनिधि नामित किये जा सकेंगे।

GST No. : 08AAAAR0279B1ZU

फोन/Phone : 0141-2740231, 2740439, 2740418
0141-2740364, 2740081, 2740076
फैक्स/Fax : 0141-2740108, 2740457, 2740026
पीबीएक्स/PBX: 0141-2744910
E-mail : rajfed@yahoo.com

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि.
RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर-302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

5. गुणवत्ता के क्रम में बहुमत से लिया गया निर्णय मान्य होगा।
6. क्रय कृषि जिन्स गुणवत्तायुक्त नहीं पाये जाने पर कारण का उल्लेख करना अनिवार्य होगा।
7. वेयरहाउस में गुणवत्तायुक्त कृषि जिन्स का ही भण्डारण किया जा सकेगा।
8. गठित कमेटी अन्यथा स्थिति यथा भंग या संशोधन न होने की स्थिति में यथावत कार्य करती रहेगी।
9. क्रय कृषि जिन्स की गुणवत्ता के क्रम में सदस्य कमेटी के मध्य मतांतर होने पर सभी सदस्यों के अभिमत कार्रवाई में अंकित किये जावे।
10. कमेटी की बैठक में सम्पन्न कार्रवाई से नेफेड व राजफेड को तत्काल अवगत कराया जावे।
11. कमेटी आवश्यक समझे तो संबंधित क्षेत्र के प्रगतिशील कृषकों को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में आमंत्रित कर सकेंगे लेकिन विशेष आमंत्रित सदस्य को मताधिकार नहीं होगा।

एनसीसीएफ के कार्यक्षेत्र में आने वाले जिलों में नेफेड के स्थान पर एनसीसीएफ के प्रतिनिधि द्वारा कार्रवाई की जावेगी।

वेयरहाउस में किसी भी प्रकार के रिजेक्शन में आवश्यक रूप से सर्वेयर से रिजेक्शन रिपोर्ट तैयार करवायी जावें तथा उस पर वेयरहाउस मैनेजर के हस्ताक्षर हो ताकि कृषि जिन्स भण्डारण कार्य में पूर्ण पारदर्शिता रखी जा सके।

30. नॉन एफ.ए.क्यू. स्टॉक का निस्तारण –

समर्थन मूल्य योजनान्तर्गत नॉन एफ.ए.क्यू. श्रेणी का जिन्स क्रय किया जाना मान्य नहीं होने के कारण राजफेड/नेफेड द्वारा उसे स्वीकार नहीं किया जावेगा इस हेतु सम्बन्धित समिति व्यवस्थापक व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगें। नॉन एफ.ए.क्यू. श्रेणी के जिन्स का संबंधित किसान को भुगतान अथवा जिन्स वापिस लौटाने का दायित्व संबंधित समिति का होगा। नॉन एफ.ए.क्यू. श्रेणी के जिन्स के निस्तारण में होने वाली हानि सम्बन्धित समिति से वसूली योग्य होगी। राजफेड द्वारा नॉन एफ.ए.क्यू. जिन्स का भुगतान नहीं किया जावेगा।

31. मण्डी टैक्स एवं कृषक कल्याण सेस –

राज्य सरकार द्वारा राजफैड के माध्यम से या अन्य अधिकृत एजेन्सी के माध्यम से सरसों, चना की खरीद समर्थन मूल्य पर किये जाने पर रवी सीजन वर्ष 2026-27 में खरीद अवधि तक के लिये उक्त खरीद पर राज्य सरकार की मण्डी समितियों को देय मण्डी शुल्क से छूट हेतु कृषि (ग्रुप-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.02.2026 से प्राप्त हो चुकी है। **(परिशिष्ट-13)**

GST No. : 08AAAAR0279B1ZU

फोन/Phone : 0141-2740231, 2740439, 2740418
0141-2740364, 2740081, 2740076
फैक्स/Fax : 0141-2740108, 2740457, 2740026
पीबीएक्स/PBX: 0141-2744910
E-mail : rajfed@yahoo.com

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि.
RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर-302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

32. जी.एस.टी. –

न्यूनतम समर्थन मूल्य योजनान्तर्गत दलहन चना की खरीद पर जीएसटी लागू नहीं है एवं सरसों पर नियमानुसार जीएसटी देय है। सदस्य समितियों द्वारा की गई कृषि जिन्सों की तिलहन की खरीद पर देय जीएसटी का नेफेड/एनसीसीएफ द्वारा पुनर्भरण किया जावेगा। समस्त समितियाँ जीएसटी आर-1 रिटर्न की जीएसटी पोर्टल पर फाईल की गई प्रति, जीएसटी रजिस्ट्रेशन का प्रमाण-पत्र, बिल दिनांक से अधिकतम आगामी माह की 12 तारीख तक तथा संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, राजफेड को भिजवाना सुनिश्चित करेंगी एवं क्षेत्रीय कार्यालय राजफेड द्वारा जीएसटी आर-1 रिटर्न की प्रतियाँ समितिवार संकलित कर राजफेड को अधिकतम आगामी माह की 14 तारीख तक प्रेषित करेगी। माह की 14 तारीख के पश्चात् यदि जीएसटी क्लेम पर पैनल्टी लगती है तो इसके लिए संबंधित समिति जिम्मेदार होगी। **क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा समितियों से जी.एस.टी. बिल क्लेम प्राप्त कर महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा) राजफेड़, जयपुर को भुगतान हेतु सीधे प्रेषित करेंगे।**

सदस्य समितियों द्वारा संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय राजफेड को तिलहन जिन्स के बिल के साथ जीएसटी रजिस्ट्रेशन का प्रमाण-पत्र, ई-इनवॉइस की प्रति, बिल पर (6 डिजिट का एच.एस.एन. नम्बर, बिल नम्बर, दिनांक, समिति एवं राजफेड का जीएसटी नम्बर आपूर्ति स्थल, पिन कोड, जिन्स का नाम, जिन्स की मात्रा, दर एवं राशि आदि) आदि जीएसटी नियमानुसार प्रेषित किये जाएगे। नियमानुसार कांटे गये बिल, ई-इनवॉइस, जीएसटी आर-1 रिटर्न (जीएसटी पोर्टल पर फाईल्ड) की प्रति जीएसटी रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र प्रेषित नहीं करने की स्थिति में जीएसटी राशि का भुगतान बाधित होने पर संबंधित सदस्य समिति उत्तरदायी होगी।

सदस्य समितियों के द्वारा जीएसटी आर-1 रिटर्न निर्धारित समयावधि में फाईल किया जाना सुनिश्चित किया जावे ताकि उसी अनुरूप जीएसटी राशि का पुनर्भरण किया जा सके। संबंधित क्षेत्रीय अधिकारीगण यह सुनिश्चित करें कि समितियों द्वारा जीएसटी आर-1 रिटर्न भरने एवं जीएसटी जमा कराने संबंधित कार्रवाई निर्धारित समयावधि में पूर्ण की जाए ताकि समितियों को अनावश्यक पेनल्टी वहन नहीं करनी पड़े। क्षेत्रीय अधिकारीगण यह भी सुनिश्चित करें कि नेफेड व एनसीसीएफ के कार्यक्षेत्र अनुसार उनके अधीनस्थ समितियों के क्लेम एक साथ इकजाई कर मुख्यालय को प्रेषित किये जाए एवं सतत् पर्यवेक्षण सुनिश्चित करें।

33. किसानों को भुगतान –

भारत सरकार द्वारा जारी पीएसएस गाईड लाईन अनुसार कृषकों को उनकी उपज का भुगतान तीन दिवस में किये जाने का प्रावधान है लेकिन प्रायः यह देखने में आया है कि उक्त निर्धारित समयावधि में कृषकों को भुगतान नहीं किया जाता है जिससे कृषकों में असंतोष की भावना पैदा होती है। अतः कृषकों को भविष्य में निर्धारित समयावधि में भुगतान सुनिश्चित करने हेतु निम्न निर्देश जारी किये जाते है :-

1. समस्त क्रय-विक्रय सहकारी समिति/क्रय केन्द्र प्रभारी कृषकों की तुलायी के दिन या अगले दिन तक खरीद किया हुआ माल संबंधित भण्डारगृहों में जमा कराया जावें तथा उसकी ईडब्ल्यूआर जारी किया जाना सुनिश्चित करें।
2. वर्तमान प्रणाली अनुसार ईडब्ल्यूआर जारी होते ही उसी दिन संबंधित राजफेड क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा सत्यापन सुनिश्चित किया जावे तथा राजफेड पोर्टल पर ऑनलाईन अपलोड करें।

GST No. : 08AAAAR0279B1ZU

फोन/Phone : 0141-2740231, 2740439, 2740418
0141-2740364, 2740081, 2740076
फैक्स/Fax : 0141-2740108, 2740457, 2740026
पीबीएक्स/PBX: 0141-2744910
E-mail : rajfed@yahoo.com

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि.
RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर-302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

3. राजफेड मुख्यालय द्वारा इस प्रकार सत्यापित भुगतान प्राप्त होने पर बैंकर्स को तत्काल भुगतान हेतु प्रेषित किया जावें।
4. जिन कृषकों का भुगतान जनआधार में कृषक का बैंक विवरण गलत होने के कारण नहीं हो पाया है उनका भुगतान संबंधित क्रय-विक्रय सहकारी समिति को तत्काल प्रेषित किया जावें। राजफेड द्वारा पत्र क्रमांकः फा. वाणिज्यः 2025-26/ राजकाज रेफरेन्ट नम्बर 18475087 दिनांक 28.10.2025 के द्वारा क्रय-विक्रय सहकारी समितियों को हैण्डलिंग एवं परिवहन कार्य पेटे समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित किये जाने हेतु जारी किया है। वर्तमान प्रणाली अनुसार समितियों व संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों से वांछित दस्तावेज के क्लेम प्रस्तुत करने पर 3 दिवस में 50 प्रतिशत भुगतान किया जावेगा। बिल जॉच पश्चात् पारित करने पर 3 दिवस में 25 प्रतिशत एवं शेष 25 प्रतिशत राशि नेफेड/एनसीसीएफ से प्राप्त होने पर 7 दिवस में भुगतान किया जावेगा।

   उक्त राशि राजफेड द्वारा संबंधित क्रय-विक्रय सहकारी समिति को भुगतान की जावेगीं एवं क्रय-विक्रय सहकारी समिति द्वारा संबंधित संवेदक को 3 दिवस में भुगतान किया जावेगा।
5. एनसीसीएफ/नेफेड से लम्बित भुगतान प्राप्त करने हेतु सतत कार्यवाही राजफेड द्वारा की जावेंगी।
6. खरीद के कमीशन राशि का भुगतान नेफेड/एनसीसीएफ से प्राप्त होने पर राजफेड द्वारा 7 दिवस में संबंधित क्रय-विक्रय सहकारी समितियों को कर दिया जावें।
7. राजफेड का नेफेड/एनसीसीएफ एवं संबंधित क्रय-विक्रय सहकारी समितियों से खातों का मिलान समय-समय पर किया जावें।
8. क्रय-विक्रय सहकारी समिति द्वारा कमीशन राशि के क्लेम ऑनलाईन अपलोड कर प्रस्तुत किये जावेंगे जिसे नेफेड/एनसीसीएफ से प्राप्त होने पर राजफेड के संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा 3 दिवस में सत्यापित किया जावेगा एव 7 दिवस में राजफेड द्वारा भुगतान किया जावेगा।

34. कानून व्यवस्था –

क्रय केन्द्र पर पारदर्शिता एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु सी.सी. टीवी कैमरे लगाये जावे। क्रय केन्द्र पर आवश्यकतानुसार विडियोग्राफी कराई जा सकती है। कैमरे व विडियोग्राफी पर होने वाला व्यय संबंधित समिति द्वारा वहन किया जावेगा। समर्थन मूल्य खरीद के दौरान कानून व्यवस्था बनाये रखने तथा खरीद कार्य की प्रभावी मॉनेटरिंग एवं सुचारू रूप से क्रियान्वयन के लिये सम्बन्धित जिला प्रशासन के स्थानीय अधिकारियों से सम्पर्क रखा जावे।

GST No. : 08AAAAR0279B1ZU

फोन/Phone : 0141-2740231, 2740439, 2740418
0141-2740364, 2740081, 2740076
फैक्स/Fax : 0141-2740108, 2740457, 2740026
पीबीएक्स/PBX: 0141-2744910
E-mail : rajfed@yahoo.com

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि.
RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर–302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

जिला कलक्टर से सम्पर्क कर समय–समय पर प्रगति से अवगत करावे। खरीद केन्द्र स्तर पर समर्थन मूल्य पर खरीद में आने वाली समस्याओं के सुगम निराकरण हेतु संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग अनु–3 द्वारा आज्ञा क्रमांक 6(13) अनु–3/2018 दिनांक 17.04.2018 संलग्न (परिशिष्ट–14) के अनुसार खरीद केन्द्र समन्वय एवं निगरानी समिति का निम्नानुसार गठन किया हुआ है:–

1. सबंधित उप खण्ड अधिकारी	अध्यक्ष
2. जिला रसद अधिकारी	सदस्य
3. उप पुलिस अधीक्षक/थाना इन्चार्ज संबंधित	सदस्य
4. उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ	सदस्य
5. प्रतिनिधि आरएसडब्लूसी/सीडब्लूसी	सदस्य
6. सचिव कृषि उपज मण्डी समिति	सदस्य
7. क्रय–विक्रय सहकारी समिति/केन्द्र प्रभारी	सदस्य सचिव

पुलिस अधीक्षक, कानून व्यवस्था, राजस्थान, जयपुर के पत्र क्रमांक 15(11) कानून व्यवस्था/ 2018–23/376 दिनांक 20.03.2023 संलग्न **(परिशिष्ट–15)** के द्वारा पूर्व में समस्त पुलिस अधीक्षक एवं समस्त उपायुक्त को खरीद के दौरान क्रय केन्द्रों पर किसी प्रकार की कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न न हो, इस हेतु फसल खरीद के दौरान आवश्यक पुलिस प्रबन्ध करने एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु निर्देशित किया हुआ है। अतः संबधित जिला/पुलिस प्रशासन से भी समन्वय बनाया रखा जावे।

मुख्य सचिव, राजस्थान स्तर से जिला कलक्टर को पत्र क्रमांक 14706–14793 दिनांक 21.10.20 संलग्न **(परिशिष्ट–16)** से पूर्व में क्रय केन्द्रों पर कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु 1 से 4 का पुलिस बल लगाये जाने के निर्देश दिये हुये है। अतः सम्बन्धित जिला प्रशासन से सम्पर्क कर रबी 2026–27 खरीद अवधि के दौरान केन्द्र पर पुलिस बल लगवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

GST No. : 08AAAAR0279B1ZU

फोन/Phone : 0141-2740231, 2740439, 2740418
0141-2740364, 2740081, 2740076
फैक्स/Fax : 0141-2740108, 2740457, 2740026
पीबीएक्स/PBX: 0141-2744910
E-mail : rajfed@yahoo.com

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय–विक्रय संघ लि.
RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर–302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

35. प्रचार–प्रसार –

(अ) समर्थन मूल्य पर खरीद हेतु योजना का कृषकों के मध्य पर्याप्त प्रचार–प्रसार की कमी रहती है। योजना की अवधि, समर्थन मूल्य की राशि, गुणवत्ता मापदण्ड, पंजीकरण प्रक्रिया, क्रय केन्द्रों तथा भुगतान इत्यादि की जानकारी के अभाव में समर्थन मूल्य पर सम्पूर्ण खरीद नहीं हो पाती है। अतः खरीद के संबंध में व्यापक प्रचार–प्रसार किया जावें ताकि समर्थन मूल्य योजना का लाभ अधिकाधिक किसानों प्राप्त हो सके, इस हेतु निम्नांकित व्यवस्थाएं की जावें :–

1. क्रय–विक्रय सहकारी समिति/कृषि मण्डी/ग्राम सेवा सहकारी समिति द्वारा समर्थन मूल्य की दर, खरीद आरम्भ की तिथि, क्रय केन्द्र का नाम, एफएक्यू मापदण्ड, पंजीकरण की प्रक्रिया, भुगतान की जानकारी हेतु ग्राम पंचायत/कृषि उपज मण्डी/बस स्टॉप/जिला परिषद पर होर्डिंग्स/बैनर/पम्पलेट एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया के माध्यम से प्रचार–प्रसार किया जावे। साथ ही क्रय केन्द्रों पर विक्रय हेतु आवश्यक दस्तावेजों की सूची, टोल फ्री नम्बर, क्रय केन्द्र प्रभारी, समिति व्यवस्थापक का नाम व मोबाईल नम्बर समस्या समाधान हेतु संबंधित उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ का नाम व मोबाईल नम्बर तथा कृषक द्वारा वहनीय खर्चों की सूची। संलग्न **(परिशिष्ट–17)**

2. क्रय–विक्रय सहकारी समितियों द्वारा स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से एवं राजफेड क्षेत्रीय कार्यालय स्तर से कृषकों की जानकारी हेतु प्रेस नोट/विज्ञापन जारी किया जावे।

3. राजफेड मुख्यालय स्तर से राज्य के प्रमुख स्थानों पर होर्डिंग/बैनर्स लगाये जावेगे तथा प्रिन्ट/इलेक्ट्रोनिक/सोशल मिडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार–प्रसार किया जावेगा साथ ही किसानों से संबंधित उपलब्ध डेटाबेस जैसे– किसान सम्मान निधि, एमएसपी पोर्टल इत्यादि का उपयोग करते हुए कृषकों को मोबाईल फोन पर संदेश प्रेषित किये जावेगे।

4. समिति द्वारा समर्थन मूल्य खरीद के संबंध में प्रचार–प्रसार पर किए गए व्यय का पूरा ब्यौरा राजफेड ओपीआर पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। इसके लिए ओपीआर पोर्टल पर सुविधा उपलब्ध करवाई जावेगी।

GST No. : 08AAAAR0279B1ZU

फोन/Phone : 0141-2740231, 2740439, 2740418
0141-2740364, 2740081, 2740076
फैक्स/Fax : 0141-2740108, 2740457, 2740026
पीबीएक्स/PBX: 0141-2744910
E-mail : rajfed@yahoo.com

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि.
RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर-302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

(ब) कृषि जिन्सों के बाजार भाव –

समर्थन मूल्य पर खरीद के दौरान समर्थन मूल्य बाजार भाव से अधिक होने की अवधि में प्रतिदिन क्षेत्रीय अधिकारी व समिति स्तर पर खरीद की मॉनिटरिंग की जावेगी व किसानों से व्यक्तिशः दूरभाष पर सम्पर्क कर समर्थन मूल्य जिन्स विक्रय करने हेतु प्रेरित/प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जावेगा।

36. विजिलेन्स –

माननीय सहकारिता मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार द्वारा दलहन–तिलहन खरीद में निर्देश दिये गए है कि विभाग द्वारा क्रय केन्द्रों के आकस्मिक विजिट के लिए विजिलेन्स टीम का गठन किया जाए एवं समय–समय पर उक्त टीम द्वारा क्रय केन्द्रों की विजिट भी की जाए।

सभी उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ, खण्डीय अतिरिक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ एवं क्षेत्रीय अधिकारी, राजफेड को दैनिक रूप से ओ.पी.आर. जरिये ई–मेल प्रेषित की जावेगी। इस हेतु सम्बन्धित कार्यालयों के एक्टिव ई–मेल आई.डी. प्रेषित करावें। खरीद एवं भुगतान सम्बन्धी प्रगति कृषक विशेष या क्षेत्र विशेष की जन सूचना पोर्टल पर भी देखी जा सकती है। प्रतिदिन खरीद प्रगति की सूचना पर ऑनलाईन अपडेट की जावे। सरसों, चना खरीद सम्बन्धी समस्त रिकॉर्ड एवं दस्तावेज पूर्ण रूप से सुरक्षित रखे जावें, ताकि ऑडिट के समय किसी तरह की असुविधा न हो।

खरीद के दौरान सहकारिता विभाग के संबंधित उप रजिस्ट्रार एवं उनके अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा क्षेत्र में पृथक–पृथक क्रय केन्द्रों पर सप्ताह में एक दिवस विजिट कर राजफेड द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार ज़िन्सों की खरीद करवाया जाना सुनिश्चित करेंगे। संलग्न **(परिशिष्ट–18)**

राजफेड के क्षेत्रीय अधिकारी/राजफेड के अन्य अधिकारी/सहायक प्रबन्धक (कि.नि.) द्वारा सप्ताह में दो–तीन दिवस क्रय केन्द्रों का निरीक्षण किया जावेगा तथा यह सुनिश्चित किया जावेगा कि जिन्सों की खरीद भारत सरकार द्वारा जारी एफएक्यू गुणवत्ता के अनुसार की जा रही है।नेफेड/एनसीसीएफ द्वारा संबंधित भण्डारगृहों पर सर्वेयर नियुक्त किये जायेगे।

कृषि जिन्सों के नॉन एफएक्यू होने की स्थिति में (संलग्न प्रोफार्मा जिसमें किसान का नाम, पंजीयन क्रमांक, जिन्स का नाम, मात्रा, दिनांक, समय, गुणवत्ता मशीन की रसीद) का रिकॉर्ड क्रय केन्द्र पर रखेगा एवं उसकी सूचना राजफेड पोर्टल पर भी अपलोड की जायेगी।

GST No. : 08AAAAR0279B1ZU

फोन/Phone : 0141-2740231, 2740439, 2740418
0141-2740364, 2740081, 2740076
फैक्स/Fax : 0141-2740108, 2740457, 2740026
पीबीएक्स/PBX: 0141-2744910
E-mail : rajfed@yahoo.com

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि.
RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर-302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

अतः आपको निर्देश दिये जाते है कि आपके क्षेत्र के क्रय केन्द्रों पर समर्थन मूल्य योजनान्तर्गत समर्थन मूल्य दर पर सरसों, चना की खरीद में निर्धारित गुणवत्ता मापदंडो का पूर्ण ध्यान रखा जावे। निर्धारित गुणवत्ता मापदण्डों के अनुरूप सरसों, चना खरीद की जिम्मेवारी सम्बन्धित समिति की होगी।

संलग्न : उपर्युक्तानुसार

(वचनेश कुमार अग्रवाल)
प्रवन्ध निदेशक

प्रतिलिपि :-

1. विशिष्ट सहायक, कार्यालय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), सहकारिता एवं नागरिक उड्डयन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रशासक एवं शासन सचिव, सहकारिता विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि/राजस्व, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. आयुक्त, कृषि, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. शासन सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय राजस्थान सरकार, जयपुर।
6. रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर अनुरोध है कि सहकारी विभाग स्तर से भी निर्देश जारी करने का श्रम करें।
7. निदेशक, कृषि विपंणन, कृषि आयुक्तालय, राजस्थान, जयपुर।
8. संभागीय आयुक्त (समस्त) ....
9. जिला कलक्टर (समस्त) ....
10. उपखण्ड अधिकारी (समस्त) ....
11. महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा/वाणिज्य/कृषि आदान/मा.स.वि./फैक्ट्री) राजफेड, जयपुर।

GST No. : 08AAAAR0279B1ZU

फोन/Phone : 0141-2740231, 2740439, 2740418
0141-2740364, 2740081, 2740076
फैक्स/Fax : 0141-2740108, 2740457, 2740026
पीबीएक्स/PBX: 0141-2744910
E-mail : rajfed@yahoo.com

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि.
RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर-302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

12. अतिरिक्त रजिस्ट्रार(मार्के), सहकारी समितियाँ, राजस्थान जयपुर को भेजकर अनुरोध है कि समर्थन मूल्य दलहन/तिलहन की खरीद के सम्बन्ध में विभागीय अधिकारियों को अपेक्षित विभागीय निर्देश जारी करवाने की व्यवस्था करे।
13. अतिरिक्त निदेशक, डीओआईटी, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि उपर्युक्त आदेशों की सभी ई-मित्र कियोस्क धारकों से पालना सुनिश्चित कराने हेतु पावन्द करें।
14. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एनआईसी, कमरा नं. 8318, शासन सचिवालय, जयपुर।
15. राज्य प्रमुख, नेफेड/एनसीसीएफ, जयपुर।
16. संयुक्त निदेशक (व्यापार), आर.एस.डब्ल्यू.सी., जयपुर।
17. क्षेत्रीय प्रवन्धक, सीडब्ल्यूसी, जयपुर।
18. निजी सचिव, प्रवन्ध निदेशक, राजफेड, जयपुर-उक्त आदेश राजफेड वेबसाईट पर अपलोड करने के संवंध में।
19. वरिष्ठ प्रवन्धक (वारदाना), राजफेड, जयपुर।
20. प्रवन्धक (भण्डारण), राजफेड, जयपुर।
21. सहायक प्रवन्धक, आईटी शाखा, राजफेड, जयपुर।
22. सहायक सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी, सहकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।

प्रबन्ध निदेशक

परिशिष्ट - 1

Government of Rajasthan
Agriculture (Group-1) Department, Rajasthan, Jaipur

No.F.9(3) Agri.-1/Input/2026/19935588 Jaipur, Dated : - Signed date. 19/01/2026

NOTIFICATION

Under the Price Support Scheme (PSS) for the procurement of rabi pulses crop **Gram** and rabi oilseed crop **Rapeseed & Mustard** on Minimum Support Prices during RMS 2026-27, as per the guidelines of GoI, a notification regarding expected production and peak arrival period of these crops in Rajasthan State is required to be issued as part of the proposal.

Therefore, Government of Rajasthan hereby notifies and declares the area, expected production, yield & peak arrival period along with sowing and harvesting time period for rabi pulses crop **Gram** and rabi oilseed crop **Rapeseed & Mustard** in the State of Rajasthan as under:-

Rabi Crops 2025	Sowing period	Harvesting period	Peak arrival period	Sown Area (Ha.)	Expected Production (Tonnes)	Yield (Kg/Ha.)
Gram	Sept.-Nov. 2025	Feb.- April 2026	March to May	2052263	2606374	1270
Rapeseed & Mustard			Feb to May	3428898	5724352	1669

By order and in the name of Governor

(Navratan Koli)
Deputy Secretary to Govt.

No.F.9(3) Agri.-1/Input/2026/19935588 Jaipur, Dated: - Signed date.

Copy to following for information and necessary action:-

1. Addl. Chief Secretary to Hon'ble Chief Minister, Rajasthan, Jaipur.
2. SA to Hon'ble Agriculture Minister, Rajasthan, Jaipur.
3. SA to Hon'ble Minister, Food & Civil Supply Rajasthan, Jaipur.
4. SA to Hon'ble Minister, Co-operative, Rajasthan, Jaipur.
5. PS to Principal Secretary, Agriculture & Horticulture, Rajasthan, Jaipur.
6. PS to Secretary, Food & Civil Supply, Rajasthan, Jaipur.
7. PS to Secretary, Co-operative, Rajasthan, Jaipur.
8. PS to Registrar, Co-operative, Rajasthan, Jaipur.
9. PS to Commissioner of Agriculture, Rajasthan, Jaipur.
10. Joint Secretary, Co-operative, Rajasthan, Jaipur.
11. Director, Agriculture Marketing, Rajasthan Jaipur.
12. Managing Director, RAJFED, Rajasthan, Jaipur.
13. Additional Food Commissioner, Food & Civil Supply, Rajasthan, Jaipur.

27 JAN 2026

GM-C

2395

m-1273
21/1/26

Deputy Secretary to Govt.

Signature valid
Digitally signed by Navratan Koli
Designation: Deputy Secretary To Government

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

परिशिष्ट-2

राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकःएफ6(iii) आ.कृ./मु.सा.अ./प्रोक्यो/दल0–तिल0/2025/2395-96 दिनांक 15/01/26

प्रबन्ध निदेशक,
राजस्थान राज्य सहकारी क्रय–विक्रय
संघ लि., 4 भवानी सिंह रोड़, जयपुर।

विषयः– आगामी रबी सीजन 2026–27 में समर्थन मूल्य पर दलहन, तिलहन की खरीद हेतु नोटिफिकेशन, सम्भावित बुआई, उत्पादन एवं आवक की सूचना भिजवाने बाबत्।

प्रसंगः– आपका कार्यालय पत्र क्रमांकः–वाणिज्य/2025–26/दिनांक 05.01.2026 के क्रम में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों के द्वारा आगामी रबी सीजन 2026–27 में समर्थन मूल्य पर दलहन–तिलहन (चना, सरसों) की खरीद हेतु फसलों की जिलेवार बुवाई, सम्भावित उत्पादन, उत्पादकता की सूचना (रांजस्व मण्डल, अजमेर से प्राप्त प्रथम अग्रिम अनुमान अनुसार) के साथ विभाग से जारी नोटिफिकेशन (जिन्सों के संभावित उत्पादन एवं आवक की मुख्य अवधि) की सूचना चाही गयी है।

अतः चना, सरसों, गेंहू एवं जौ के जिलेवार क्षेत्रफल, उत्पादन एवं उत्पादकता की जिलेवार सूचना संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है एवं **नोटिफिकेशन जारी करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।**

सलंग्न – उपर्युक्तानुसार।

(टी0सी0 गुप्ता)
संयुक्त निदेशक कृषि (सांख्यिकी)

क्रमांकः–एफ6(iii) आकृ/मुसाअ/ प्रोक्यो/दल0–तिल0/2025/2395-96 दिनांक 15/01/26

प्रतिलिपिः– उप शासन सचिव कृषि (ग्रुप–1) विभाग जयपुर को सूचनार्थ हेतु प्रेषित है।

संयुक्त निदेशक कृषि (सांख्यिकी)

Signature valid
Digitally signed by Tilak Chand Gupta
Designation: Joint Director
Date: 2026.01.15 16:02:09 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 19943146
eSign 1.0

Scanned with OKEN Scanner

परिशिष्ट-3

(AREA IN HA.)
(PRODUCTION IN Tonnes)

First Advance Estimates Rabi- 2025-26

(YIELD IN KG./HA.)

S.NO	DIST	GRAM			RAPESEED & MUSTARD		
		AREA	PROD	YIELD	AREA	PROD	YIELD
1	AJMER	161997	192776	1190	54999	86128	1566
2	ALWAR	6889	11987	1740	131193	266014	2028
3	BALOTRA	1154	1464	1269	9282	11252	1212
4	BANSWARA	16069	20408	1270	4	3	750
5	BARAN	26603	53206	2000	60835	133837	2200
6	BARMER	200	253	1265	17493	27241	1557
7	BEAWAR	30610	48884	1597	5320	9209	1731
8	BHARATPUR	1080	2255	2088	134975	245878	1822
9	BHILWARA	91084	132072	1450	61846	100413	1624
10	BIKANER	135629	152447	1124	244682	330321	1350
11	BUNDI	26555	48277	1818	44425	68859	1550
12	CHITTOR	71370	108625	1522	41925	59120	1410
13	CHURU	305270	213384	699	203250	207315	1020
14	DAUSA	29898	42037	1406	69116	125376	1814
15	DEEDWANA-KUCHAMAN	13594	16789	1235	16008	20120	1257
16	DEEG	1868	3034	1624	108720	199138	1832
17	DHOLPUR	840	1075	1280	70515	135389	1920
18	DUNGARPUR	11931	15773	1322	127	107	843
19	GANGANAGAR	61929	80508	1300	283893	525202	1850
20	HANUMANGARH	169866	220825	1300	222895	490369	2200
21	JAIPUR	119756	181311	1514	88528	115086	1300
22	JAISALMER	124710	118250	948	67575	68927	1020
23	JALORE	18232	23155	1270	114717	183989	1604
24	JHALAWAR	43285	77174	1783	38983	68220	1750
25	JHUNJHUNU	37521	62960	1678	130983	229557	1753
26	JODHPUR	31500	40005	1270	70800	89916	1270
27	KAROLI	8278	13824	1670	91120	174777	1918
28	KHERTHAL-TIJARA	1197	1672	1397	84318	152523	1809
29	KOTA	45830	87077	1900	58995	117990	2000
30	KOTHPUTLI-BEHROR	5500	6985	1270	95000	209000	2200
31	NAGAUR	61171	72977	1193	60724	82159	1353
32	PALI	112980	112980	1000	70870	97418	1375
33	PHALODI	26755	46294	1730	87745	140918	1606
34	PRATAPGARH	24300	30667	1262	15540	13986	900
35	RAJSAMAND	8254	11531	1397	2618	2880	1100
36	SALUMBER	5100	6477	1270	438	613	1400
37	SAWAI MADHOPUR	32000	63072	1971	151060	271908	1800
38	SIKAR	69758	86918	1246	84486	98540	1166
39	SIROHI	4865	6179	1270	23872	38195	1600
40	TONK	84522	162451	1922	296567	509079	1717
41	UDAIPUR	22313	28338	1270	12456	17380	1395
	State Total	2052263	2606374	1270	3428898	5724352	1669

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

परिशिष्ट-4

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक 3(2)राज-6/2007/पार्ट/5 जयपुर, दिनांक: 12.09.2018

1. समस्त संभागीय आयुक्त
2. समस्त जिला कलेक्टर
राजस्थान।

परिपत्र

इस विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प 2 (4) राज 4/98/37 दिनांक 13.12.1991 के अन्तर्गत मंदिर माफी/देवमूर्ति की भूमियों के लिए निम्नानुसार निर्देश जारी किये गये थे -

1. भविष्य में जो जमाबंदी राजस्व विभाग या बंदोबस्त विभाग द्वारा बनाई जाए, उनमें देवमूर्ति के साथ पुजारी या सेवायत का नाम नही लिखा जाए।
2. प्रशासनिक सुविधा के लिए एक रजिस्टर मंदिर के पुजारियों के संबंध में तहसील स्तर पर संलग्न प्रोफार्मा मे अलग से रखा जाए, जिसमें जिन मंदिरों के पास कृषि भूमि है, उनके पुजारियों के नाम का अंकन किया जाए।
3. जो जमाबंदी बन चुकी है तथा वर्तमान में प्रभावशील है, उनमें देवमूर्ति के साथ जहां भी पुजारी का नाम आया है वहां पुजारी का नाम विलोपित कर दिया जाए तथा ऊपर वर्णित रजिस्टर में लिखा जाए, इस बाबत स्पष्ट नोट जमाबंदी के रिमार्क के कॉलम में अंकित किया जाए।

इसका संभावित उददेश्य यह था कि मंदिर भूमि का विधि विरुद्ध रूप में रहन या विक्रय न हो सके। इस आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में जमाबंदी से पुजारियों के नाम हटाएं गए।

उक्त परिपत्र में दिये गये निर्देशों की सही क्रियान्विति नही करने या गलत व्याख्या करने के कारण मन्दिर माफी की भूमियों के संबध में समस्याए राज्य सरकार के ध्यान में लाई गई। अतः राज्य सरकार के ध्यान में लाई गई समस्याओं के निराकरण हेतु निम्नलिखित निर्देश जारी किये जाते है:-

1. पूर्व परिपत्र दिनांक 13.12.91 की पालना में जमाबन्दी में मूर्तिमंदिर के साथ पुजारी का नाम विलोपित करने के साथ यदि पृथक से इस हेतु संधारित रजिस्टर में उसका अंकन नही किया गया हो तो

4

दिनांक 13.12.91 को जमाबन्दी में अंकित पुजारी/सेवायत का नाम इस हेतु पूर्व निर्देशित पृथक रजिस्टर में दर्ज कर दिया जाये।

2. राजस्थान भूमि सुधार व जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 की धारा 9 के अन्तर्गत खातेदार पट्टेदार खादिमदार के रूप में पुजारियों को मिली खातेदारी वाले पुजारी जिनका गलत रूप में विलोपन कर दिया गया है और जिन्हें पुनः खातेदारी दी जा सकती है। इस संबंध मे पूर्व में राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 13.12.1991 के उपरान्त दिनांक 24.5.2007 व परिपत्र दिनांक 25.11.2011 को जारी परिपत्र में इन्हें खातेदारी दिये जाने हेतु निर्देश व स्पष्टीकरण भी जारी किया गया है, जिनका प्रकरणवार विधिक परीक्षण कर सही पाये जाने पर खातेदार बन चुके पुजारियो के नाम जमाबन्दी के खातेदार के कॉलम में अंकित किए जाने की यथोचित कार्यवाही की जाए।
3. परिपत्र दिनांक 13.12.1991 के प्रावधानुसार मंदिर की भूमियों हेतु पृथक पंजिका बना कर उसमें पुजारियों के नाम दर्ज किये जावे, उसको पारदर्शी एवं नियमित रूप से अद्यतन रखने हेत पंजिका को ऑनलाईन कम्प्यूटराईज्ड रूप में एल.आर.सी. पर जमाबंदी से लिंक किये जाने की कार्यवाही की जाये। मंदिर से संबधित खाते की जमाबन्दी की नकल के साथ आवश्यक रूप से पुजारी का यह प्रपत्र अपने समुचित प्राधिकार के साथ जारी/प्रदान किया जाएगा।
4. मंदिर भूमि हेतु परिपत्र दिनांक 13.12.1991 द्वारा निर्धारित पंजिका में वर्णित पुजारी मंदिर भूमि के संरक्षक के रूप में निम्नानुसार अनुमत/प्राधिकृत होंगे:-
   - मंदिर, भूमि के विकास के लिए संबधित विभाग के नियमानुसार विद्युत, पेयजल, ट्यूबवेल आदि के लिए कनेक्शन हेतु।
   - फसल खराबे की स्थिति में नियमानुसार सहायता अनुदान हेतु।
   - कृषि विभाग की योजना अनुसार भूमि सीमा में पात्र होने पर बीज, कृषि उपादान आदि पर नियमानुसार अनुदान प्राप्त करने हेतु।
   - इसी प्रकार राज्य सरकार की अन्य योजनाओं, जिसमें भूमि रहन न होती हो, उसमें उन्हे यथा प्रावधान लाभ दिया जा सकेगा।
   - मंदिर के नाम बैंक खाता होने पर इसका संचालक एवं उपयोगकर्ता पुजारी को बनाया जा सकेगा। इसमें प्रत्येक पुजारी बहैसियत मंदिर के संरक्षक के रूप में नियमानुसार योजनांतर्गत लाभ हेतु अनुमत/प्राधिकृत होगा।

5. मंदिर भूमि पर अतिक्रमण की स्थिति पुजारी या पटवारी द्वारा ध्यान में लाये जाने पर तहसीलदार अतिक्रमी के विरूद्ध कार्यवाही इस प्रकार करेंगे जैसे कि राजकीय भूमि पर अतिक्रमी के विरूद्ध करते हैं तथा मंदिर मूर्ति के हितों के संरक्षण हेतु दायित्वाधीन होंगे। जिला कलक्टर मूर्तिमंदिर की भूमि संबंधी अतिक्रमण रिपोर्ट सिवायचक/चारागाह भूमि की तरह राजस्व कर्मियों से नियमित रूप से प्राप्त कर धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत उनके प्रकरण दर्ज कर तद्नुसार प्रभावी निस्तारण करेंगे।

(अनिल कुमार अग्रवाल)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. शासन सचिव, देवस्थान विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निबंधक राजस्व मण्डल, अजमेर।
3. जागीर आयुक्त राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त संयुक्त शासन सचिव, राजस्व विभाग।
5. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

परिशिष्ट-5

Fair Average Quality (FAQ) Grade Specifications of Gram Whole (Desi) for procurement under Price Support Scheme (PSS)

Sr. No.	Special Characteristics	Maximum permissible limits of different refractions (% by weight per qtl.) for FAQ
1.	Foreign matter	1.0
2.	Other food grains	3.0
3.	Damaged grains	3.0
4.	Slightly damaged touched grains	4.0
5.	Immature shrivelled & broken grains	6.0
6.	Admixture	2.0
7.	Weevilled grains	4.0
8.	Moisture content	14.0

Definitions:

Foreign matter: Includes organic and inorganic matter. The inorganic matter shall include sand, gravel, dirt, pebbles, stones, lumps of earth, clay and mud. The organic matter shall include chaff, straw, weed seed and inedible grains.

General Characteristics:

a) Be the dried mature grains. (of Cicer Arietinum).
b) Have uniform size, shape and colour.
c) Be sweet, hard, clean, wholesome and free from moulds, living insects, obnoxious smell, discolouration, admixture of deleterious substances and all other impurities except of the extent indicated in schedule below:
d) Be in sound merchantable condition.
e) Conform to PFA Rules.

Annexure. I

परिशिष्ट- 6

Fair Average Quality (FAQ) Grade Specifications of Rapeseed/Mustard seed for procurement under Price Support Scheme (PSS)

Sr. No.	Special Characteristics	Maximum limits of tolerance (% by weight per qtl.) for FAQ
1.	Impurities/ Foreign matter including Taramira	2
2.	Admixture with other types including Toria	10
3.	Unripe, Shrivelled or immature	4
4.	Damaged & weevilled	2
5.	Small atrophied seeds	10
6.	Moisture content	8

Note: Presence of all non-edible oilseeds, like Castor, Mahua, Neem etc.is prohibited. Presence of Argemone seeds is also prohibited.

Definitions:

1. Impurities or Foreign matter includes dust, dirt, stones, lumps of earth, chaff, stems/ straw, taramira and any other impurity;
2. Admixture means other types of Sarson (including Toria);
3. Unripe and shrivelled or immature seeds are those which are not properly developed;
4. Damaged & weevilled seeds are those which are internally damaged or discoloured, damage and discolouration materially affecting the quality.
5. Small atrophied seeds means seeds which are not retained in sieves with 14 meshes per liner inch (1" = 2.54 cms). This factor will not be applicable to the juncea or nigra group of seeds.

परिशिष्ट-7

GST No.08AAAR0279B1ZU

फोन/phone : 0141-2740418, 740026,2744910
फैक्स/fax : 0141-2740026, 2740108, 2740457,
ग्राम/ : राजफैड,जयपुर/ : RAJFED,JAIPUR
E-mail : rajfed.fin_ac@yahoo.in

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय–विक्रय संघ लि.

RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETIG FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर–302001

4,BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302001

क्रमांकःफा.1/ई–बिड/एच.एन.टी./लेखा/2026–2027/7081-7124 दिनांकः 03/02/2026

जिला कलक्टर,
समस्त।

विषयः–वर्ष 2026–2027 के लिए रबी व खरीफ(दोनों) सीजन के लिए समर्थन मूल्य पर जिंस खरीद हेतु हैण्डलिंग एवं परिवहन की निविदा समय पूर्व करने हेतु।

महोदय,

जैसा कि विदित है कि हर वर्ष की भॉति इस वर्ष 2026–2027 में भी भारत सरकार के निर्देशानुसार नेफेड/एन.सी.सी.एफ./एफ.सी.आई. के लिए रबी व खरीफ सीजन के लिए जिंसों की खरीद की जानी हैं। अतः यह निर्णय हुआ है कि हर वर्ष की भॉति वर्ष 2026–2027 में भी सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांकः 15(27)सविरा/मार्के/स.मू. चना व सरसों/2018–19 दिनांक 28.03.2018 के अनुसार उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ,राजस्थान सरकार द्वारा निविदा प्रक्रिया सम्बन्धित जिला कलक्टर की देख रेख में उक्तानुसार प्रवृत्त दिशा–निर्देशों व निविदा शर्तो के अनुसार यह कार्य दिनांक 15.03.2026 तक सम्पूर्ण किया जावें।

संघ के प्रशासक के द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में निवेदन है कि आपके अधीन सम्बन्धित उप रजिस्ट्रार,सहकारी समितियॉ को निर्देशित कर सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से संबंधित उक्त निविदा कार्यवाही समय पर पूर्ण कर ली जावें।

भवदीय,

(बचनेश कुमार अग्रवाल)
प्रबन्ध संचालक,राजफेड

प्रतिलिपिः–

1– निजी सचिव,रजिस्ट्रार,सहकारी समितियॉ, राजस्थान–जयपुर।
2– मुख्य सर्तकता अधिकारी एवं अतिरिक्त रजिस्ट्रार(मार्के),सहकारी समितियॉ, जयपुर को भेजकर लेख है कि आपके अधीन सभी उपरजिस्ट्रार,सहकारी समितियॉं को दिनांक 15.03.2026 तक निविदा कार्यवाही पूर्ण करने के निर्देश जारी करें।

Signature valid

प्रबन्ध संचालक,राजफेड

Digitally signed by Bachanesh Kumar Agrawal
Designation : Managing Director
Date: 2026.02.03 18:19:52 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 20302283

परिशिष्ट-8

GST No.08AAAR0279B1ZU

फोन/phone : 0141-2740418, 740026,2744910
फैक्स/fax : 0141-2740026, 2740108, 2740457,
ग्राम/ : राजफैड,जयपुर/ : RAJFED,JAIPUR
E-mail : rajfed.fin_ac@yahoo.in

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय–विक्रय संघ लि.

RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETIG FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर–302001

4,BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302001

क्रमांकःफा.1 / ई–बिड / एच.एन.टी. / लेखा / 2026–2027 / 7175-7276 दिनांकः 03/02/2026

उप पंजीयक,
सहकारी समितियाँ,
समस्त।

विषयः–वर्ष 2026–2027 (अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027) में समर्थन मूल्य पर दलहन / तिलहन (रबी व खरीफ) खरीद हेतु हैण्डलिंग एवं परिवहन कार्य की दरों के निर्धारण / प्रक्रिया बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत अनुरोध है कि राजफेड द्वारा वित्तीय वर्ष 2026–2027 (अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027) में समर्थन मूल्य पर नेफैड के लिये दलहन / तिलहन (रबी व खरीफ) की खरीद की जानी है। इसके अन्तर्गत हैण्डलिंग एवं परिवहन कार्य के लिये फर्मो / आवेदकों / ठेकेदारों एवं दरों का निर्धारण किया जाना है। राज्य सरकार से प्राप्त स्वीकृति अनुसार हैण्डलिंग एवं परिवहन व्यवस्था हेतु क्रय–विक्रय सहकारी समिति स्तर पर जिले के उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ के अध्यक्षता में गठित कमेटी के माध्यम से ई–बिड प्रक्रिया सम्पन्न की जानी है।

1– राज्य सरकार से प्राप्त स्वीकृति अनसुार हैण्डलिंग एवं परिवहन कार्य के लिये समस्त उप रजिस्ट्रार,सहकारी समितियाँ द्वारा जिलें की संबंधित सदस्य समितिवार ऑन–लाईन द्वि–प्रक्रमी बिड प्रणाली(टू–बिड) के अनुसार ई–बिड जारी की जावें। हैण्डलिंग एवं परिवहन कार्य के लिये दर प्राप्ति एवं प्रक्रिया निम्नानुसार की जानी होगी :–

1.1 <u>हैण्डलिंग कार्य :</u>

मंडी में खरीद की जाने वाली जिन्सों में निम्न मदो के हैण्डलिंग कार्य कराये जाते है :–

अ–कृषक स्तर के कार्य

कृषक के वाहन से जिन्स उतारना, छनाई / ग्रेडिंग कराना,कंट्टे में भरना एवं कट्टे को कांटे पर रखना।

<u>ब–समिति स्तर के कार्य</u>

इसमें रंग मार्का, विवरण का टैग, क्यूआर.कोड़ यदि लागू हो तो, यथासंभव मशीन से सिलाई, स्टेक लगाना, तुलाई, उतराई, ट्रक में लोडिंग करना आदि के व्यय (अधिकतम 10 प्रतिशत व्यय) सम्मिलित है। हैण्डलिंग कार्य के लिए आधार दर सम्बन्धित कृषि उपज राजकीय मंडी की दर होगी। ई–बिड में प्राप्त दरें तथा खरीद केन्द्र से सम्बन्धित राजकीय कृषि उपज मंडी समिति की दरों जो भी कम हो वही दर मान्य होगी। हैण्डलिंग कार्य में मंडी दर आधार दर से 10 प्रतिशत कम तक ही दर की बिड़ स्वीकार होगी। इस सीमा से कम दर की हैण्डलिंग कार्य की निविदा स्वीकार नहीं होगी। हैण्डलिंग कार्य के लिए बिड में प्राप्त दर तथा सम्बन्धित राजकीय कृषि उपज मंडी की निर्धारित दर दोनो में जो भी दर कम हो वह दर मान्य होगी।

1.2 <u>परिवहन कार्य ::</u>

1.2(1) परिवहन कार्य हेतु क्रय किये गये दलहन / तिलहन परिवहन के लिए आधार दर इकजाई पीडीएस दर (26.39 रू. प्रति क्विं.) होगी। बिड में प्राप्त दर, परिवहन की आधार दर से अधिकतम 10 प्रतिशत कम की सीमा तक मान्य होगी। निविदादाता द्वारा इस सीमा से कम दर पर दी गई दरें अव्यवहारिक होने से अमान्य होगी। यदि निविदा में एल–1 निविदादाता द्वारा इकजाई आधार दर व पीडीएस आधार के बराबर दर दी जाती है तो इन आधार दर पर प्राप्त प्रस्ताव स्वीकार किया जा सकता है। यदि बिड में पीडीएस आधार दर से अधिक दरें प्राप्त होती है तो निर्धारित कमेटी द्वारा एल-1 बिडदाता से नेगोसियेशन किया जा सकेगा।

Signature Valid
Digitally signed by Hari Singh Meena
Designation: Financial Advisor
Date: 2026.02.03 18:37:12 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 20302340

GST No.08AAAR0279B1ZU

फोन/phone : 0141-2740418, 740026,2744910
फैक्स/fax : 0141-2740026, 2740108, 2740457,
ग्राम/ : राजफैड,जयपुर/ : RAJFED,JAIPUR
E-mail : rajfed.fin_ac@yahoo.in

RAJFED

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय–विक्रय संघ लि.

RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETIG FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर–302001

4,BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302001

1.2(2) नेगोसियेशन पश्चात समिति द्वारा यदि नेगोशिएटेड दरें पीडीएस आधार दर से 20 प्रतिशत अधिक अथवा गत वर्ष की आवंटित दर का 10 प्रतिशत अधिक दोनों में से जो भी कम हो तक की अधिक दरें टेंडर इनवाईटिंग ऑथोरिटी(निविदा समिति) के स्तर पर स्वीकृत की जायेगी। तत्पश्चात् निविदा समिति की अनुशंसा के आधार पर सम्बन्धित जिला कलेक्टर की स्वीकृति व अनुशंसा सहित प्रकरण राजफेड मुख्यालय को प्रेषित किये जायेगे। जिसे नेफेड/एन.सी.सी.एफ. हेतु स्वीकृति को प्रेषित किया जायेगा।

1.2(3) इसके अलावा विशिष्ट प्रकरणों में राजफेड मुख्यालय द्वारा पीडीएस की आधार दर से 20 प्रतिशत अधिक दरों की स्वीकृति हेतु प्रशासक राजफेड से अनुमति Case to Case Basis आधार पर ली जाकर नेफेड/एन.सी.सी.एफ. को स्वीकृति हेतु प्रेषित की जायेगी।

1.2(4) ई–बिड में हैण्डलिंग एवं परिवहन कार्य हेतु प्राप्त दरें (दोनों) 10 प्रतिशत से कम की सीमा तक ही स्वीकार की जायेंगी। पूर्व में ऐसा देखने में आया है कि कतिपय ठेकेदार बिड को खराब करने के लिए बहुत कम दर भरते है तथा बाद में उक्त पर कार्य भी नहीं करते है। निविदा में आधार दरों (हैण्डलिंग एवं परिवहन) से 10 प्रतिशत से कम न्यूनतम दर अंकित करने वाली निविदा आरंभतः शून्य होगी। निविदा में प्राप्त दर व आधार दर में अंतर (10 प्रतिशत की सीमा तक) के प्रकरण में अनुमोदित संवेदक से इस अंतर की अतिरिक्त प्रतिभूति प्राप्त की जायेगी। साथ ही कमेटी के समक्ष एल–1 फर्मो की समान दरें प्राप्त होती है तो उस स्थिति में निविदा कमेटी संबंधित फर्मों की विडियोग्राफी करवाते हुए लॉटरी प्रक्रिया अपनाकर एल–1 फर्म का चयन किया जायेगा।

2– अन्य दिशा–निर्देश :–

2.1– प्रवृत्त दिशा–निर्देशों के अनुसार निविदा प्रक्रिया समर्थन मूल्य पर खरीद चालू होने से पूर्व पूर्ण की जानी चाहिये। किसी कारण से देरी हो जावे तो समक्ष स्तर से सहमति पश्चात किसी भी परिस्थिति में संबंधित खरीद सीजन समाप्ति दिनांक तक यह कार्य पूरा कर लिया जाना चाहिये। इसकी सुनिश्चिता क्षेत्रीय कार्यालयों व उपरजिस्ट्रार कार्यालय स्तर से की जावेगी।

2.2– हैण्डलिंग एवं परिवहन कार्य हेतु वर्ष 2026–2027 में आमंत्रित निविदा में स्वीकृत दरें दोनो सीजन (रबी व खरीफ) अर्थात पूरे वर्ष 2026–2027 के लिए लागू होगी। मूंगफली के लिए हैण्डलिंग एवं परिवहन की दरें संवेदक निविदा प्रपत्र में पृथक से भरी जावेगी। यदि रबी के खरीद के दौरान कोई निविदा नहीं आती है और उसकेन्द्र पर खरीद भी नहीं हो। और अतिआवश्यक हो तो आगामी खरीफ सीजन के लिए निविदा इन दिशा–निर्देशों के क्रम में की जा सकेगी।

2.3– यदि कोई फर्म एक सीजन के लिए कार्य करने के उपरांत और दूसरे सीजन के लिए कार्य करने से मना करती है तो संबंधित उपापन संस्था द्वारा निविदा शर्त व अनुबंध प्रावधान के साथ–साथ आरटीपीपी एक्ट व नियम के अनुसार दोषी के विरूद्व कार्यवाही करते हुये नये सीजन बाबत निविदा कार्यवाही तुरन्त प्रारम्भ कर पूर्ण की जायेगी।

2.4– मंडी दरों के अनुमोदन के लिए खरीद सीजन प्रारम्भ होने से पूर्व ही समस्त मंडी समितियों से कृषि विपणन निदेशालय के माध्यम से उप रजिस्ट्रार,सहकारिता कार्यालयों द्वारा तत्समय की प्रमाणित मंडी दरें प्राप्त कर ही निविदा कार्यवाही की जावे।

2.5– उक्त कार्य हेतु सम्बन्धित उप रजिस्ट्रार,सहकारिता द्वारा जिलें की क्रय समितिवार ई–बिड के माध्यम से दो लिफाफा बिड प्रणाली के अन्तर्गत प्रवृत्त दिशा–निर्देशों व निविदा प्रपत्र सहित आर.टी.पी.पी. एक्ट एवं नियमों के अनुसार बिड जारी की जानी होगी।

Signature valid
Digitally signed by Hari Singh Meena
Designation : Financial Advisor
Date: 2026.02.03 18:37:12 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
20302340

GST No.08AAAR0279B1ZU

फोन/phone : 0141-2740418, 740026,2744910
फैक्स/fax : 0141-2740026, 2740108, 2740457,
ग्राम/ : राजफैड,जयपुर/ : RAJFED,JAIPUR
E-mail : rajfed fin ac@yahoo.in

RAJFED

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय–विक्रय संघ लि.

RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETIG FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर–302001

4,BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302001

2.6– जिन स्थानों पर दो बार खुली ई–निविदा आमंत्रित करने के बाद निविदा प्राप्त नहीं होती है तो वहाॅ कारण अंकित करते हुये उप रजिस्ट्रार,सहकारिता स्तर की निविदा समिति द्वारा सम्बन्धित जिला कलेक्टर की अनुमति प्राप्त कर हैण्डलिंग कार्य मण्डी दर (आधार दर) पर और परिवहन कार्य पीडीएस आधार दर पर निविदा शर्तो के अनुसार पात्रता रखने वाले स्थानीय संवेदकों से सीमित निविदा/कोटेशन/एकल निविदा की कार्यवाही कर निविदा शर्तो के अनुसार पात्रता रखने वाले संवेदक/संस्था को संबंधित उप रजिस्ट्रार,कार्यालय द्वारा जिला कलक्टर के अनुमोदन उपरांत ही हैण्डलिंग एवं परिवहन संवेदक कार्य हेतु अनुशंसित किया जायेगा। एकल निविदा प्रकरण में चिन्हित कार्यकारी एजेन्सी के निविदा शर्तो के अनुसार पात्रता रखने संबंधी सुनिश्चिता संबंधित उप रजिस्ट्रार,कार्यालय द्वारा सुनिश्चित की जावेगी। यदि कोई सदस्य समिति स्वंय हैण्डलिंग एवं परिवहन का कार्य करती है तो उसे भी निविदा शर्तो के अनुसार पात्रता रखते हुये निविदा कार्यवाही में भाग लेना आवश्यक है तथा उसके द्वारा भी सभी पात्रता सहित संविदा/अनुबन्ध की शर्तो की पालना भी पूर्ण करनी होगी। सदस्य समिति द्वारा स्वंय हैण्डलिंग एवं परिवहन कार्य करने की स्थिति में जिला कलक्टर व उप रजिस्ट्रार द्वारा यह प्रमाणित किया जायेगां कि सदस्य समिति द्वारा पात्रता संबंधी समस्त शर्तो की पूर्ति कर ली है तथा वे इससे संतुष्ट है। कार्यकारी संस्था/संवेदक के लिए निविदा शर्तो और दिशा–निर्देशों की पालना अनिवार्य होगी।

राज्य के विभिन्न क्रय केंन्द्रों के लिये हैण्डलिंग एवं परिवहन के कार्यो हेतु रजिस्ट्रार सहकारी समितियों के पत्र क्रमांक 15(27)संविरा/मार्के/स.मू.चना व सरसों/2018–19 दिनांक 28.03.2018 द्वारा राज्य के विभिन्न क्रय केन्द्रों के लिये हैण्ड़लिंग एवं परिवहन कार्य की बिड खोलने एवं अन्तिम रूप दिये जाने हेतु निम्न कमेटी गठित है :–

सम्बन्धित इकाई का उप पंजीयक	–	अध्यक्ष
जिला कलेक्टर का प्रतिनिधि	–	सदस्य
सम्बन्धित क्षेत्रीय अधिकारी,		
राजफैड/प्रतिनिधि	–	सदस्य
नेफैड का प्रतिनिधि	–	सदस्य
सम्बन्धित व्यवस्थापक ,क्र.. वि.स.स.	–	सदस्य सचिव

उक्त कमेटी की अनुशंसा पर सम्बन्धित फर्म/आवेदक/ठेकेदार को कार्य आदेश सम्बन्धित क्रय–विक्रय सहकारी समिति द्वारा दिया जावेंगा। फर्म /आवेदक/ठेकेदारों की ब्लेकलिस्टेड की सूची एवं निविदा प्रपत्र राजफैड की वेबसाईट पर उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त निविदा प्रपत्र शर्तो में इस बाबत घोषणा पत्र की पालना आवश्यक करावें।

किसी संशय अथवा समस्या के उत्पन्न होने की स्थिति में राजफैड से दिशा–निर्देश प्राप्त करें,ताकि सभी जगह एकरूपता बनी रहें।

रबी 2026 की खरीद प्रक्रिया मध्य 15 मार्च 2026 से प्रारम्भ होना संभावित है। अतः 10 मार्च 2026 तक बिड प्रक्रिया पूर्ण कर हैण्डलिंग एवं परिवहन की दरें निर्धारित कराकर सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार को कार्य आदेश जारी दिया जाना सुनिश्चित कर राजफेड मुख्यालय को अवगत करावें।

निविदा कार्य समय पर पूर्ण हो इस हेतु प्रबन्ध निदेशक,राजफेड की ओर से एक पत्र पृथक से सम्बन्धित जिला कलेक्टर एवं रजिस्ट्रार,सहकारिता को प्रेषित कर दिया गया है।

Signature valid

Digitally signed by Hari Singh Meena
Designation : Financial Advisor
Date: 2026.02.03 18:37:12 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
20302340

GST No.08AAAR0279B1ZU

फोन/phone : 0141-2740418, 740026,2744910
फैक्स/fax : 0141-2740026, 2740108, 2740457,
ग्राम/ : राजफैड,जयपुर/ : RAJFED,JAIPUR
E-mail : rajfed.fin_ac@yahoo.in

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय–विक्रय संघ लि.

RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETIG FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर–302001

4,BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302001

समस्त उप रजिस्टार,सहकारिता अपने आधीनस्थ खरीद केन्द्र के क्षेत्र अधिकार वाली राजकीय मंडी दरों का विवरण खरीद सीजन प्रारम्भ होने से निविदा पूर्व ही कृषि विपणन निदेशालय के माध्यम से तत्समय प्रमाणित मंडी दरें प्राप्त कर लेवें।

पत्र के साथ ही सक्षम स्तर से अनुमोदित निविदा प्रपत्र शर्तों इत्यादि संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। आप अपने क्षेत्र से सम्बन्धित क्षेत्रीय अधिकारी,राजफेड से अविलम्ब सम्पर्क व सहयोग प्राप्त कर उक्त कार्य सम्पादित करावें।

भवदीय,

(हरि सिंह मीना)
वित्तीय सलाहकार,राजफेड

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपिः–

1– निजी सचिव, प्रशासक महोदया, राजफेड।
2– निजी सचिव,प्रमुख शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार,सहकारिता विभाग,जयपुर।
3– निजी सचिव,जिला कलक्टर,..।
4– अतिरिक्त रजिस्ट्रार,सहकारी समितियाँ,अजमेर/कोटा/बीकानेर/जोधपुर/जयपुर/उदयपुर/भरतपुर।
5– राज्य प्रमुख,नेफेड/एन.सी.सी.एफ.,जयपुर।
6– महाप्रबन्धक(वाणिज्य/कृषि आदान/मा.सं.वि.)राजफेड,जयपुर।
7– क्षेत्रीय अधिकारी,राजफेड–अजमेर/भरतपुर/बीकानेर/कोटा/जोधपुर/श्रीगंगानगर/जयपुर/उदयपुर।

वित्तीय सलाहकार,राजफेड

Signature valid

Digitally signed by Hari Singh Meena
Designation: Financial Advisor
Date: 2026.02.03 18:37:12 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
20302340

परिशिष्ट-9

GST No.08AAAR0279B1ZU

फोन / phone : 0141-2740418, 740026,2744910
फैक्स / fax : 0141-2740026, 2740108, 2740457,
ग्राम / : राजफैड,जयपुर / : RAJFED,JAIPUR
E-mail : rajfed.fin_ac@yahoo.in

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय–विक्रय संघ लि.

RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETIG FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर–302001

4,BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302001

क्रमांकःफा.1 / ई–बिड / एच.एन.टी. / लेखा / 2026–2027 / 7125-7174 दिनांक: 03/02/2026

प्रबन्ध निदेशक,
कृषि विपणन निदेशालय
पंत कृषि भवन,
राजस्थान–जयपुर।

विषयः–वर्ष 2026–2027 में समर्थन मूल्य पर दलहन / तिलहन खरीद हेतु हैण्डलिंग कार्य की सम्बन्धित कृषि उपज मंडी की नवीनतम दरों के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत अनुरोध है कि भारत सरकार नेफेड / एन.सी.सी.एफ. के लिए वर्ष 2026–2027 के लिए समर्थन मूल्य पर रबी व खरीफ(दोनों) सीजन के लिए कृषि जिंस क्रय किये जाते है। इस कार्य हेतु राज्य सरकार के निर्देशानुसार वर्ष 2026–2027 में हैण्डलिंग एवं परिवहन कार्य हेतु निविदाऐं आमंत्रित की जानी है। इस हेतु कृषि जिंस क्रय प्रक्रिया में सम्बन्धित मंडी की हैण्डलिंग कार्य की दर आधार रखी जा रही है। राजस्थान राज्य में स्थापित सभी कृषि उपज मंडी समितियों की वर्तमानं में प्रचलित नवीनतम उपविधि 18(2) का प्रस्ताव प्रमाणित हैण्डलिंग दरों की एक–एक प्रति उपलब्ध कराने की कृपा करें। जिससे निविदा कार्य निर्धारित समय तक सम्पन्न करवाया जा सकें।

भवदीय,

(बचनेश कुमार अग्रवाल)
प्रबन्ध संचालक,राजफेड

प्रतिलिपिः–

1– क्षेत्रीय अधिकारी,राजफेड समस्त को भेजकर लेख है कि आपके अधीन सभी कृषि उपज मंडी समितियों की नवीनतम प्रमाणित हैण्डलिंग दरें प्राप्त कर मुख्यालय को एक सप्ताह में भिजवाये।

2– उप रजिस्ट्रार,सहकारी समितियॉ,समस्त राजस्थान को भेजकर लेख है कि इस कार्य हेतु आपके अधीन कृषि उपज मंडी समितियों के नवीनतम प्रमाणित हैण्डलिंग दरें प्राप्त कर सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय,राजफेड / मुख्यालय,राजफेड जयपुर को एक सप्ताह में उपलब्ध करावें।

प्रबन्ध संचालक,राजफेड

Signature valid

Digitally signed by Bachanesh Kumar Agrawal
Designation : Managing Director
Date: 2026.02.03 18:21:34 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 20302295

क्षेत्रीय कार्यालय का नाम –

निम्नलिखित दस्तावेज नेफेड/एनसीसीएफ को भेजे जाने वाले खरीद एवं हैण्डलिंग बिलों के साथ आवश्यक रूप से जाँच कर संलग्न करें ।

जिन्स का नाम – खरीद वर्ष –

क्र. सं.	बिल		आवश्यक दस्तावेज	जाँच हेतु {√} हाँ	जाँच हेतु {√} नहीं
1	खरीद बिल	1	समिति का विक्रय बिल ।		
		2	ग्राम0 से0 सह0 समिति का विक्रय बिल यदि खरीद है ।		
		3	ऑनलाईन खरीद ररजिस्टर दिनांकवार ।		
		4	गोदामवार समिति द्वारा जमा माल का विवरण, वेयरहाउस रसीद सं0, खरीद केन्द्र का नाम, बोरी, वजन एवं दिनांक सहित ।		
		5	मानक भर्ती के अनुसार क्लेम (प्रति बैग गेन को छिज्जत से समायोजित नहीं किया गया है) मानक भर्ती मूंगफली हेतु 35 किलो एवं अन्य हेतु 50 किलो प्रति बैग है ।		
2	बारदाना उपयोगिता बिल	1	सभी प्रकार के बारदाना दरों हेतु राजफेड हस्ताक्षर सहित लागत विवरण । पुराने बारदाने सहित यदि उपयोग किया गया है ।		
		2	अनुबन्ध करार की एक प्रति ।		
		3	टेण्डर प्रक्रिया में चयनित पार्टी को कार्य आदेश की प्रति ।		
		4	पार्टी द्वारा सप्लाई किये गये बारदाने का सैम्पल बिल जिसका मिलान लागत विवरण से हो ।		
		5	मानक भर्ती के अनुसार बारदाना उपयोगिता का बिल ।		
		6	राजफेड का बारदाने उपयोगिता बिल ।		
3	कमीशन बिल	1	राजफेड का बिल 2 प्रतिशत हेतु ।		
		2	समिति का बिल 1 प्रतिशत हेतु ।		
4	हैण्डलिंग बिल	1	राजफेड का हैण्डलिंग बिल ।		
		2	समिति का हैण्डलिंग बिल ।		
		4	नेफेड़ द्वारा अनुमोदित मण्डी दर की प्रति ।		
5	परिवहन का बिल	1	राजफेड का परिवहन का बिल ।		
		2	समिति का परिवहन का बिल ।		
		4	नेफेड़ द्वारा परिवहन हेतु अनुमोदित दरों की प्रति ।		
		5	क्लेम किये गये परिवहन का विवरण – खरीद केन्द्र का नाम, जमा केन्द्र का नाम, दूरी, क्लेम दर इत्यादि ।		
		6	दूरी के प्रमाण हेतु गूगल से निकटतम दूरी प्रमाण पत्र प्रमाणित कर संलग्न करें ।		
		7	50 कि0मी0 से बाहर किये गये परिवहन हेतु मु0सचिव राज0 सरकार से अनुमोदित विवरण जो आशा दिशा निर्देशानुसार केश टू केश बेसिस हो (यानि खरीद केन्द्र एवं जमा केन्द्र का नाम स्पष्ट हो)		

परिशिष्ट-11

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय–विक्रय संघ लि०, जयपुर

क्रमांकः वाणिज्य / 2025–26 /

दिनांक : ई–हस्ताक्षरित

कार्यालय आदेश

समर्थन मूल्य योजनान्तर्गत दलहन / तिलहन खरीद हेतु हैण्डलिंग एवं परिवहन ठेकेदारों को क्रय–विक्रय सहकारी समितियों द्वारा कार्य आदेश जारी किया जाता है। भुगतान प्रक्रिया में आ रही व्यवहारिक कठिनाईयों के निराकरण हेतु सक्षम स्तर से प्राप्त स्वीकृति अनुसार हैण्डलिंग एवं परिवहन मद में राजफेड द्वारा क्रय–विक्रय सहकारी समतियों को भुगतान जारी करने के लिये नियमानुसार व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू की जाती है :–

1. समितियों द्वारा हैण्डलिंग एवं परिवहन के बिल क्षेत्रीय अधिकारियों की अनुशंषा के साथ राजफेड मुख्यालय में प्राप्त होते ही समितियों को हैण्डलिंग एवं परिवहन बिल की स्वीकृति दर की 50 % राशि का भुगतान उनके खाते में स्थानान्तरित कर दिया जाए।
2. राजफेड मुख्यालय द्वारा हैण्डलिंग एवं परिवहन बिलों की जाँच करके नैफेड या एन सी सी एफ को पुनर्भरण हेतु प्रेषित करते ही बिल राशि का 25 % भुगतान कर दिया जाए। किन्तु यह भुगतान समितियों द्वारा 50 % राशि भुगतान कर यू.टी.आर. नम्बर क्षेत्रीय अधिकारियों के माध्यम से भिजवाने के पश्चात् ही किया जायेगा।
3. हैण्डलिंग एवं परिवहन की शेष 25 % राशि नैफेड या एन सी सी एफ से प्राप्त होने के उपरांत समितियों को कर दिया जाए, ताकि समितियों को कार्य करने में वित्तीय परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।
4. हैण्डलिंग एवं परिवहन की राशि का भुगतान उक्तानुसार भुगतान राजफेड द्वारा लिए गए ऋण की राशि में से किया जाना प्रस्तावित है।
5. जिन समितियों की शोर्टेज एवं अन्य गंभीर शिकायतें हैं, उनके प्रकरण निस्तारण पश्चात् भुगतान करने / न करने का निर्णय गुण–अवगुण के आधार पर किया जावेगा।

उक्त स्वीकृति राजफेड के प्रशासक महोदय द्वारा सम्बंधित पत्रावली के पैरा नम्बर 179 / एन से अनुमोदित है। अतः क्षेत्रीय कार्यालय उपर्युक्त प्रावधान अनुसार समितिवार / जिन्सवार / सीजनवार हैण्डलिंग एवं परिवहन मद में भुगतान हेतु क्लेम संकलित कर स्पष्ट अनुशंषा सहित प्रेषित करें।

(टीकम चन्द बोहरा)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय सहकारिता मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशेषाधिकारी, मुख्य सचिव एवं प्रशासक महोदय, राजफेड, जयपुर।
3. प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ, राजस्थान, जयपुर।
5. खण्डीय अतिरिक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ,............................।
6. महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा / वाणिज्य / मा.स.वि. / कृषि), राजफेड, जयपुर।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, राजफेड, (समस्त)।
8. उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ, राजस्थान.......................(समस्त)।

प्रबन्ध निदेशक

Document certified by TIKAM CHAND BOHRA <LAGEHO3069@KUANDIKA.COM>.

Digitally Signed by Tikam Chand Bohra
Designation : Managing Director
Date :28-10-2025 01:17:43

RajKaj Ref No.: 18475087
eSign DSC

परिशिष्ट-12 24

राजस्थान सरकार
सहकारिता विभाग

क्रमांक:सह./ पी.एस.एस./ 2021-22/12957-13082

दिनांक 28.03.2022

कार्यालय आदेश

न्यूनतम समर्थन मूल्य योजनान्तर्गत क्रय कृषि जिन्स के भण्डारगृह में भण्डारण के दौरान गुणवत्ता संबंधी विवाद निवारण हेतु गठित कमेटी दिनांक 06.04.2018 में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नानुसार 5 सदस्यीय कमेटी का गठन तुरन्त प्रभाव से किया जाता है :-

1. सहायक कृषि अधिकारी, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार – अध्यक्ष
2. क्षेत्रीय अधिकारी राजफैड – सदस्य
3. वेयरहाउस (आर.एस.डब्ल्यू.सी.)/सी.डब्ल्यू.सी.) प्रतिनिधि – सदस्य
4. नेफेड प्रतिनिधि – सदस्य
5. संबंधित समिति व्यवस्थापक – सदस्य सचिव

गठित कमेटी द्वारा क्रय कृषि जिन्स की गुणवत्ता पर विवाद होने पर निम्न प्रक्रिया अपनायी जावे :-

1. सदस्य सचिव द्वारा कमेटी की बैठक का आयोजन किया जावेगा।
2. बैठक आयोजन के क्रम में नोटिस जारी किया जावेगा जिसमें तिथि, समय व विवाद विवरण का उल्लेख होगा।
3. बैठक में कमेटी के सभी सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।
4. वेयरहाउस व नेफेड के अधिकृत अधिकारी द्वारा ही प्रतिनिधि नामित किये जा सकेंगे।
5. गुणवत्ता के क्रम में बहुमत से लिया गया निर्णय मान्य होगा।
6. क्रय कृषि जिन्स गुणवत्तायुक्त नहीं पाये जाने पर कारण का उल्लेख करना अनिवार्य होगा।
7. वेयरहाउस में गुणवत्तायुक्त कृषि जिन्स का ही भण्डारण किया जा सकेगा।
8. गठित कमेटी अन्यथा स्थिति यथा भंग या संशोधन न होने की स्थिति में यथावत कार्य करती रहेगी।
9. क्रय कृषि जिन्स की गुणवत्ता के क्रम में सदस्य कमेटी के मध्य मतांतर होने पर सभी सदस्यों के अभिमत कार्यवाही में अंकित किये जावे।
10. कमेटी की बैठक में सम्पन्न कार्यवाही से नेफेड व राजफैड को तत्काल अवगत कराया जावे।
11. कमेटी आवश्यक समझे तो संबंधित क्षेत्र के प्रगतिशील कृषकों को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में आमंत्रित कर सकेंगे लेकिन विशेष आमंत्रित सदस्य को मताधिकार नहीं होगा।

(दिनेश कुमार)
प्रमुख शासन सचिव

(36)

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-
1. निजी सचिव, माननीय सहकारिता मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।

31

परिशिष्ट-13

राजस्थान सरकार
कृषि (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांकःप.10(2)कृषि / ग्रुप–2 / 1975 / पार्ट

दिनांकः यथाहस्ताक्षरित

अधिसूचना

राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 की धारा 17–ए तथा धारा 40–ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा राजफैड, नाफेड एवं एनसीसीएफ के माध्यम से राज्य मे दलहन–तिलहन का समर्थन मूल्य पर क्रय किए जाने पर वर्ष 2026–27 के रबी सीजन में खरीद अवधि तक के लिए उक्त खरीद पर राज्य की मण्डी समितियों को देय कृषक कल्याण फीस एवं मण्डी शुल्क से छूट प्रदान की जाती है। उक्त कृषक कल्याण फीस की राशि का सब्सिडी के रूप में राज्य सरकार द्वारा पुनर्भरण किया जाएगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(स्नेह लता हारीत)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, राजस्थान, जयपुर को राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, कृषि विपणन (माननीय मुख्यमंत्री महोदय), राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
4. अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग।
5. शासन सचिव, सहकारिता विभाग।
6. प्रमुख शासन सचिव, कृषि।
7. निदेशक, कृषि विपणन विभाग, राजस्थान जयपुर।
8. प्रवन्ध निदेशक, राजफैड, जयपुर।
9. प्रवन्ध निदेशक, नाफेड, जयपुर।
10. प्रवन्ध निदेशक, एनसीसीएफ, जयपुर।
11. समस्त क्षेत्रीय संयुक्त / उप निदेशक, कृषि विपणन विभाग।
12. समस्त सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, राजस्थान।
13. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव

Room No. 5227, Second Floor, Main Building, Government Secretariat, Jaipur (Raj.)- 302005, Phone No. 0141-2221826/2223267 E-mail - agri.group2@gmail.com

Signature Not Verified
Digitally Signed by Sneha Lata Harit
Designation : Deputy Secretary To Government
Date :17-02-2026 06:01:22

RajKaj Ref No.: 20596082
eSign DSC

परिशिष्ट-17

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार (अनु0-3) विभाग

क्रमांकःप. 6(13)प्र.सु./अनु.-3/2018 जयपुर, दिनांक 17.4.2018

-:आज्ञा:-

समर्थन मूल्य पर विभिन्न कृषि जिंसों की खरीद के सुचारू क्रियान्वयन हेतु निम्नांकित चार समितियों का गठन निम्नानुसार किया जाता है:--

(अ) राज्य स्तरीय स्टेयरिंग कमेटी

क्र.सं.	सदस्य	पद
1	मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर	अध्यक्ष
2	महानिदेशक, पुलिस, राजस्थान, जयपुर	सदस्य
3	अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर	सदस्य
4	अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि विभाग, राजस्थान, जयपुर	सदस्य
5	प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर	सदस्य
6.	शासन सचिव, खाद्य विभाग, राजस्थान, जयपुर	सदस्य
7	रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ, राजस्थान, जयपुर	सदस्य
8	प्रबन्ध संचालक, आरएसडब्लूसी, जयपुर	सदस्य
9	शाखा प्रबन्धक, नेफेड, जयपुर	सदस्य
10	प्रबन्ध संचालक, राज. रा. सह. बैंक लि.(अपैक्स बैंक), जयपुर	सदस्य
11	क्षेत्रीय प्रबन्धक, सीडब्लूसी, जयपुर	सदस्य
12	प्रबन्ध संचालक, रा.रा.स.क.वि.सं.लि.(राजफैड़), जयपुर	सदस्य सचिव

(ब) समर्थन मूल्य पर खरीद की दिन प्रतिदिन की समस्याओं के निस्तारण एवं निगरानी हेतु राज्य स्तरीय समन्वय कमेटी

क्र.सं.	सदस्य	पद
1	अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि विभाग, राजस्थान, जयपुर	अध्यक्ष
2	प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर	सदस्य
3	महानिरीक्षक, पुलिस (लॉ एण्ड आर्डर) राजस्थान, जयपुर	सदस्य
4	शासन सचिव, खाद्य विभाग, राजस्थान, जयपुर	सदस्य
5	प्रबन्ध संचालक, रा.रा.स.क्र.वि.सं.लि.(राजफैड़), जयपुर	सदस्य
6	अतिरिक्त रजिस्ट्रार (द्वितीय), सहकारी समितियाँ, राज., जयपुर	सदस्य
7	अतिरिक्त रजिस्ट्रार (मार्के.), सहकारी समितियाँ, राज., जयपुर	सदस्य
8	प्रबन्ध संचालक, राज. रा. सह. बैंक लि.(अपैक्स बैंक), जयपुर	सदस्य
9	अतिरिक्त निदेशक, कृषि, राजस्थान, जयपुर	सदस्य
10	अधिशाषी निदेशक, आरएसडब्लूसी, जयपुर	सदस्य
11	क्षेत्रीय प्रबन्धक, सीडब्लूसी, जयपुर	सदस्य
12	शाखा प्रबन्धक, नेफेड़, जयपुर	सदस्य
13	महाप्रबन्धक, वित्त, राजफैड़, जयपुर	सदस्य
14	महाप्रबन्धक, वाणिज्य, राजफैड़, जयपुर	सदस्य सचिव

(स) जिला स्तर पर समर्थन मूल्य पर खरीद में समस्याओं के सुगम निराकरण हेतु जिला स्तरीय समन्वय एवं निगरानी समिति

क्र.सं.	सदस्य	पद
1	जिला कलक्टर, संबंधित जिला	अध्यक्ष
2	पुलिस अधीक्षक, संबंधित जिला	सदस्य
3	अतिरिक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां एवं पदेन प्रभारी अधिकारी क्षेत्रीय अधिकारी, राजफैड	सदस्य
4	जिला रसद अधिकारी, संबंधित जिला	सदस्य
5	निकटस्थ क्रय-विक्रय सहकारी समिति (के.वी.एस.एस.) का एक प्रतिनिधि	सदस्य
6	उप निदेशक, कृषि विभाग	सदस्य
7	प्रतिनिधि, आरएसडब्लूसी / सीडब्लूसी	सदस्य
8	उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ	सदस्य सचिव

(द) खरीद केन्द्र के स्तर पर समर्थन मूल्य की खरीद के मे आने वाली समस्याओं के सुगम निराकरण हेतु खरीद केन्द्र समन्वय एवं निगरानी समिति

क्र.सं.	सदस्य	पद
1	संबंधित उपखण्ड अधिकारी	अध्यक्ष
2	जिला रसद अधिकारी	सदस्य
3	उप पुलिस अधीक्षक / थाना इन्चार्ज (संबंधित)	सदस्य
4	उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ	सदस्य
5	प्रतिनिधि आरएसडब्लूसी / सीडब्लूसी	सदस्य
6	सचिव, कृषि उपज मण्ड समिति	सदस्य
7	के सी एस एस / खरीद केन्द्र का व्यवस्थापक	सदस्य सचिव

उक्त समितियों का प्रशासनिक विभाग सहकारिता विभाग है।

आज्ञा से,

17/5/18

(डॉ0 प्रेम सिंह चारण)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1. प्रमुख शासन सचिव, महामहिम राज्यपाल / माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, सहकारिता मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त / कृषि विभाग।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग।
6. निजी सचिव, खाद्य विभाग, राजस्थान।
7. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
8. संयुक्त शासन सचिव / उप शासन सचिव, सहकारिता विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
9. रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ, राजस्थान, जयपुर।
10. समस्त जिला कलेक्टर।
11. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद।
12. समस्त कोषाधिकारी, संबंधित जिला।
13. समस्त उप / सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ।
14. प्रबन्ध संचालक आरएसडब्लूसी / राजफैड / अपैक्स बैंक, जयपुर।
15. रक्षित पत्रावली। संदर्भ सं. प.9(11)सह / 2018 / दूज-1

17/5/18

(के.के.खण्डेलवाल)
अनुभाग अधिकारी

परिशिष्ट -15

॥ कार्यालय महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर॥

क्रमांक:-वी-15(11) कानून-व्यवस्था/2018-23/316 दिनांक:- 20.3

समस्त पुलिस अधीक्षक, राजस्थान।
समस्त उपायुक्त जयपुर/जोधपुर।

विषय:-समर्थन मूल्य योजनान्तर्गत रबी 2023-24 में चना-सरसों के केन्द्रों के संबंध में।

प्रसंग:- राजस्थान राज्य सहकारी, क्रय-विक्रय संघ लि. के पत्र क्रमांक 5768-6488 दिनांक 17.03.23 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के क्रम में निर्देशानुसार लेख है कि रबी फसल 2023-24 में समर्थन मूल्य पर चना-सरसों की खरीद हेतु क्रय केन्द्रों पर लाया जायेगा। उक्त खरीद के दौरान क्रय केन्द्रों पर किसी प्रकार की कानून-व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न ना हो इस संबंध में आपके जिलों के क्रय केन्द्रों पर फसल खरीद के दौरान आवश्यक पुलिस प्रबन्ध किया जाकर कानून-व्यवस्था बनाये रखना सुनिश्चित करें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार

232

20/3/2023

हिम्मत अभिलाष टाक,IPS
पुलिस अधीक्षक,
कानून-व्यवस्था, राज0, जयपुर।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1.पुलिस आयुक्त, जयपुर/ जोधपुर।
2.समस्त रेंज महानिरीक्षक पुलिस, राजस्थान।
3.प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि. जयपुर को प्रासंगिक पत्र के क्रम में।

Signature valid
Digitally signed by Himmat Abhilash Tak
Designation : Superintendent Of Police
Date: 2023.03.20 17:22:30 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3439089

परिशिष्ट- 16

राजस्थान सरकार

सहकारिता विभाग

क्रमांक : 2020–21/ 14706-14793

दिनांक 16.10.2020

जिला कलक्टर,

............................(सम्बन्धित)

विषयः समर्थन मूल्य योजनान्तर्गत खरीफ वर्ष 2020 में मूंग, उड़द मूंगफली एवं सोयाबीन की खरीद केन्द्रों पर सुचारू खरीद व्यवस्था हेतु।

महोदय,

राजफैड़ द्वारा राज्य में समर्थन मूल्य पर मूंग, उड़द एवं सोयाबीन की दिनांक 01.11.2020 एवं मूंगफली की खरीद दिनांक 18.11.2020 से आरम्भ की जानी है। किसानों के ऑनलाईन पंजीयन दिनांक 20.10.2020 से आरम्भ किये जा रहे है।

क्रय केन्द्रों के सुचारू क्रियान्वयन एवं मौके पर आने वाली समस्याओं के सुगम निराकरण हेतु खरीद केन्द्रों के स्तर पर प्रशासनिक सुधार विभाग (अनु–3) राजस्थान सरकार के आदेश कमांक प 6(13) प्र.सु./अनु–3/2018 दिनांक 17.04.2018(संलग्न) के अनुसार समिति गठित की गई है। उक्त समन्वय एवं निगरानी समिति को आपके स्तर से सक्रिय करने हेतु निर्देश जारी करावें एवं साप्ताहिक रूप से इसकी रिपोर्ट प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करावें।

राजस्व सबंधी समस्याओं के निराकरण के लिए खरीद के दौरान प्रत्येक क्रय केन्द्रों पर एक नायब तहसीलदार/गिरदावर मय हल्का पटवारी की नामजद ड्यूटी लगाई जावें, जो कि खरीद के दौरान क्रय केन्द्रों पर उपस्थित रहेगें एवं क्रय केन्द्रों पर उत्पन्न होने वाली समस्याओं का मौके पर ही निराकरण करेगें। इन क्रय केन्द्रों पर कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु प्रत्येक केन्द्र पर 1–4 का पुलिस बल भी लगाया जावें। सम्बन्धित जिला कलक्टर साप्ताहिक रिपोर्ट प्रबन्ध संचालक, राजस्थान राज्य सहकारी क्रय–विक्रय संघ लि. (राजफैड़) को भी भिजवाना सुनिश्चित करे।

समर्थन मूल्य पर दलहन तिलहन खरीद का कार्य महत्वपूर्ण प्रकृति का है। आगामी दिनों में राज्य में निकाय चुनाव होने जा रहे है। खरीद कार्य में राजफैड, क्रय विक्रय सहकारी समितियों,सहकारी विभाग के अधिकारियों को चुनाव डयूटी से मुक्त रखा जाना है। सबंधित जिला कलक्टरस द्वारा उपरोक्त बिन्दुओं का विशेष ध्यान रखते हुए व्यवस्थाऐं सुनिश्चित करावें।

भवदीय,

मुख्य सचिव

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख शासन सचिव, कृषि राजस्थान सरकार, जयपुर
2. रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ, राजस्थान, जयपुर–गत सीजन में जो केन्द्र संवेदनशील रहे है, उन पर विशेष निगरानी की व्यवस्था करवायी जावे।
   शासन सचिव, सहकारिता, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. [illegible] शासन सचिव, सहकारी समितियाँ............................खण्ड............................
4. अतिरिक्त/संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ............................
5. उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ............................
6. क्षेत्रीय अधिकारी, राजफैड़ (समस्त)............................
7. प्रचार अधिकारी, सहकारी विभाग, जयपुर।

(कुंजी लाल मीणा)

प्रमुख शासन सचिव

बैनर का प्रारूप

क्रय–विक्रय सहकारी समिति लि0.......................जिला ....

किसान द्वारा वहनीय खर्चों की राशि समिति में जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जावे।

समर्थन मूल्य पर सरसों एवं चना रबी वर्ष 2026–27 क्रय केन्द्र ....

समर्थन मूल्य दर सरसों – 6200/– रु. क्विंटल एवं चना 5875/– रु. क्विंटल

दलहन एवं तिलहन की एफ.ए.क्यू. किस्म के भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड निम्नानुसार हैं :–

क्र.सं.	मापदण्ड	दलहन (चना)%	तिलहन (सरसों)%
1.	विजातीय तत्व, धूल मिट्टी ग्रस्त		
2.	अन्य अनाज दाने – जैसे तोरिया		
3.	टूटे फूटे दाने		
4.	मामूली कस से क्षतिग्रस्त व बदरंग		
5.	अपरिपक्व एवं टूटे हुये सिकुड़े व कच्चे दाने		
6.	अन्य किस्म व मिले हुये		
7.	दबे हुये व घुने दाने		
8.	नमी की मात्रा		

- कृपया कृषक अपनी फसल को साफ व सुखाकर उक्त मापदण्डों की किस्म ही विक्रय हेतु लावे। एफ.ए.क्यू. का दायित्व स्वयं कृषक को होगा।
- कृषक अपनी जिन्स के विक्रय हेतु जनआधार कार्ड, मूल गिरदावरी, बैंक पासबुक व रजिस्ट्रेशन संबंधी दस्तावेज साथ लावे।
- उपरोक्त बिन्दु 1 से 8 भारत सरकार द्वारा घोषित मापदण्डों की परिभाषा के अधीन स्वीकार्य सीमा तक मान्य है।

जिन्स छनाई से लेकर कांटे पर बोरी रखाई तक के किसान द्वारा वहनीय खर्चों की राशि का योग–

गतिविधि	दर प्रति कट्टा
1.उतराई	....
2. छंनाई	....
3. भराई	....
4. कांटे पर रखाई	....

किसान द्वारा स्वयं सम्पन्न गतिविधि का चार्ज वसूल योग्य नहीं होगा।

व्यवस्थापक का नाम .... मोबाईल नम्बर ....

केन्द्र प्रभारी का नाम .... मोबाईल नम्बर ....

उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ.......................

नाम....................... मोबाईल नम्बर ....

क्षेत्रीय अधिकारी, राजफेड........................ मोबाईल नम्बर ....

राजफेड टोल फ्री नम्बर 18001806001

ई–मेल आई.डी. rajfed@yahoo.com

note 2025-26_G

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय–विक्रय संघ लि0

क्रय केन्द्र का विजिट किये जाने हेतु विजिट रिपोर्ट प्रारूप

1. विजिटकर्ता अधिकारी का नाम एवं पदनाम ....
2. क्रय केन्द्र का नाम ....
3. विजिट किये जाने की दिनांक ....
4. विजिट दिनांक तक की गई कुल खरीद जमा एवं शेष (बैग्स की संख्या)

क्र.सं.	जिन्स का नाम	कुल खरीद(बैग्स)	जमा	शेष	विशेष विवरण
1					
2					
3					
4					

5. बटाईदार से खरीद का सत्यापन

क्र.सं.	जिन्स का नाम	बटाईदार कृषकों की संख्या जिनसे विजिट दिनांक .... तक खरीद की गयी है	विजिट दिनांक तक बटाईदार कृषकों से क्रय किए गए जिन्स के दस्तावेजों के सत्यापन की संख्या	यदि कोई असमानता पायी जाती है तो उसका स्पष्ट विवरण पृथक से संलग्न करे।
1				
2				
3				
4				

6. गुणवत्ता संबंधी मूल्यांकन

....

....

7. तौल संबंधी मूल्यांकन

....

....

8. बारदाने संबंधी मूल्यांकन

क्र.सं.	जिन्स का नाम	केन्द्र पर प्राप्त कुल बारदाना (संख्या)	उपयोग में लिया गया बारदाना (संख्या)	शेष बारदाना (संख्या)	विशेष विवरण
1					
2					
3					
4					

9. खरीद किये जा चुके माल की सुरक्षा हेतु किये गये प्रबंध

....

....

10. कृषकों की पहचान बाबत मूल्यांकन

....

....

11. रिजेक्शन संबंधी मूल्यांकन

....

....

12. क्रय केन्द्र की साफ–सफाई, रोशनी/पेयजल से संबंधित व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे एवं क्रय केन्द्र पर लगाये जाने वाले बैनर्स आदि की व्यवस्था तथा किसान से वसूली योग्य राशि अंकित करे। (बैनर्स की फोटो संलग्न करे)

....

....

13. तीन कृषकों से लिये गये बयान संलग्न करे एवं यदि कोई कृषकों की समस्या हो तो उसका विवरण देंवें।

....

....

14. केन्द्र पर खरीदे गए माल का उठाव/ट्रांसपोर्टेशन सही तरीके से हो रहा है अथवा नहीं का विवरण(आदेश/वर्कऑर्डर की फोटो प्रति सहित)

....

....

15 . विशेष विवरण

....

....

16. समिति व्यवस्थापक का नाम एवं मोबाईल न0

....

....

विजिटकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर